[ 2020 ] 11 एस. सी. आर. 665

जयंत ईटीसी।

वी.

मध्य प्रदेश का राज्य

( आपराधिक अपील सं। 824-825 2020 का)

3 दिसंबर, 2020

[ अशोक भूषण और एम. आर. शाह, जे. जे.]

यू/एस. एस. के तहत अपराधों के लिए एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए अपीलकर्ता। 379 , 414 , आई. पी. सी.; एसएस. 4 / 21 , एमएमडीआर अधिनियम और यू / आर. 18,2006 नियम-अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया, अभिनिर्धारित किया गयाः मजिस्ट्रेट शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यू / s.156 (3) पुलिस स्टेशन के संबंधित प्रभारी/एस. एच. ओ. को एम. एम. डी. आर. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए भी अपराध का मामला/एफ. आई. आर. दर्ज करने का निर्देश दें।

और उसके तहत बनाए गए नियम-बार यू/एस। 22 इस स्तर पर आकर्षित नहीं होता है यह केवल तभी आकर्षित होता है जब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है

एमएमडीआर अधिनियम/नियमों के तहत अपराधों और प्रक्रिया/समन जारी करने के आदेशों के बारे में-वर्तमान मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस स्तर पर मजिस्ट्रेट ने कथित अपराधों का कोई संज्ञान लिया था।

बार यू/को आकर्षित करने वाले अपराध एस. 22-इसके अलावा, निजी अपीलार्थियों के खिलाफ एम. एम. डी. आर. अधिनियम के तहत अपराधों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा चक्रवृद्धि करने की अनुमति दी गई थी, इस प्रकार,

उप-सेक। 2 एस. 23 क आकर्षित किया जाता है-इसलिए, अपराधों के संबंध में कोई कार्यवाही/आगे की कार्यवाही नहीं होगी।

एम. एम. डी. आर. अधिनियम/नियम के तहत दंडनीय-हालांकि, उपरोक्त प्रतिबंध आई. पी. सी. के तहत अपराधों के लिए लागू नहीं होगा, जैसे कि एस. 379 , 414 , चूंकि एम. एम. डी. आर. अधिनियम/नियम और आई. पी. सी. के तहत अपराध अलग और विशिष्ट हैं-यू/एस. एस. के तहत अपराधों के लिए कार्यवाही रद्द कर दी गई है। 4 / 21 , केवल एमएमडीआर अधिनियम-दंड संहिता, 1860-एस. एस. 379 , 414 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.156 (3)-एम. पी. खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2006 - आर 18-मध्य प्रदेश लघु खनिज नियम, 1996 - आर. 53.

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम. एम. डी. आर. अधिनियम) की धारा 22 को पढ़ने से पता चलेगा कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति द्वारा की गई लिखित शिकायत पर लिया जाएगा। इसलिए, एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 22 को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने पर प्रतिबंध आकर्षित होगा। [ पैरा 8.1] [685 ए, सी]

1.2 उच्च न्यायालय ने इसमें कोई त्रुटि नहीं की है

मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द करना और धारा 379 और 414 के तहत अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं करना। मजिस्ट्रेट ने धारा 156 (3), Cr.P.C के तहत प्रदत्त स्वतः संज्ञान शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस स्टेशन के संबंधित प्रभारी/एस. एच. ओ. को अपराध का मामला/एफ. आई. आर. दर्ज करने का निर्देश दिया और जांच शुरू करने का निर्देश दिया और पुलिस स्टेशन के संबंधित प्रभारी/एस. एच. ओ. को उचित जांच के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह नहीं कहा जा सकता है कि इस स्तर पर मजिस्ट्रेट ने एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रतिबंध को आकर्षित करने वाले कथित अपराधों का कोई संज्ञान लिया था। एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस एजेंसी द्वारा आपराधिक मामला दर्ज करने या जांच करने या आपराधिक मामला दर्ज करने के खिलाफ कोई रोक है।

जांच पूरी होने पर पुलिस द्वारा रिपोर्ट, जैसा कि धारा 173, Cr.P.C द्वारा विचार किया गया है।

एमएमडीआर अधिनियम, एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय हैं। जैसा कि अनिल कुमार के मामले में इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से कहा गया है, 'जब एक विशेष न्यायाधीश धारा 156 (3) के तहत जांच के लिए एक शिकायत भेजता है, तो जाहिर है, उसने अपराध का संज्ञान नहीं लिया है और इसलिए, यह एक पूर्व-संज्ञान चरण है और इसे संज्ञान के बाद के चरण के बराबर नहीं माना जा सकता है।' जैसा कि आर. आर. चारी के मामले में इस न्यायालय ने कहा, यहां तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश देने या जांच के उद्देश्य से तलाशी वारंट जारी करने का आदेश भी, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अपराध का संज्ञान लिया है। जैसा कि ए. आर. अंतुले के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा, अदालत में शिकायत दर्ज करना संज्ञान नहीं लेना है और जो वास्तव में संज्ञान लेना है वह शिकायत दर्ज करने से अलग है। इसलिए, जब मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 156 (3) के तहत पुलिस द्वारा जांच करने का आदेश पारित किया जाता है, जो मजिस्ट्रेट ने तत्काल मामले में किया था, जब जयंत ई. टी. सी. v.

मध्य प्रदेश का राज्य

संहिता की धारा 173 (2) के तहत मामला दर्ज करें और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कि उसके बाद जाँच अधिकारी को रिपोर्ट भेजना आवश्यक है प्राधिकृत अधिकारी और उसके बाद, जैसा कि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत परिकल्पित है, प्राधिकृत अधिकारी, जैसा कि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 में उल्लिखित है, जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है और उस स्तर पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के संबंध में प्रश्न उत्पन्न होगा। [ पैरा 10,10.1 10.3] [700-सी-एच; 701-ए-डी]

ए. आर. अंतुले बनाम रामदास श्रीनिवास नायक, (1984) 2 एससीसी

500 [ 1984 ] 2 एस. सी. आर. 914-अनुसरण किया गया।

अनिल कुमार बनाम। एम. के. अयप्पा (2013) 10 एससीसी 705: [ 2013 ] 9 एस. सी. आर. 869; आर. आर. चारी बनाम यू. पी. एयर का राज्य

1951 एससी 207: [ 1951 ] एस. सी. आर. 312-पर निर्भर।

2. यह सच है कि वर्तमान मामले में उपयुक्त प्राधिकारी

खनिज सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें जो यह प्रावधान करती हैं कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत दंडनीय कोई भी अपराध, अभियोजन की स्थापना से पहले या बाद में, के तहत अधिकृत व्यक्ति द्वारा बढ़ाया जा सकता है। धारा 22 उस अपराध के संबंध में अदालत में शिकायत करने के लिए, उस व्यक्ति को भुगतान करने पर, सरकार को क्रेडिट के लिए, ऐसी राशि जो वह व्यक्ति निर्दिष्ट करे। धारा की उप-धारा 2

23 ए में यह भी प्रावधान है कि जहां कोई अपराध उप-धारा (1) के तहत चक्रवृद्धि किया जाता है, वहां अपराधी के खिलाफ कोई कार्यवाही या आगे की कार्यवाही, जैसा भी मामला हो, नहीं की जाएगी।

इस प्रकार चक्रवृद्धि अपराध, और यदि अपराधी अभिरक्षा में है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। इस प्रकार, धारा 23 ए की उप-धारा 2 के तहत प्रतिबंध एमएमडीआर अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत अपराधों के संबंध में लागू होगा। हालांकि, धारा 23 ए की उप-धारा 2 में निहित बाधा आईपीसी की धारा 379 और 414 जैसे अपराधों के लिए लागू नहीं होगी। वर्तमान मामले में, एम. एम. डी. आर. अधिनियम या किसी भी नियम के तहत अपराध [2020] 11 एस. सी. आर.

इसके तहत और आई. पी. सी. के तहत अपराध अलग हैं और

विशिष्ट अपराध। इसलिए, जैसा कि वर्तमान मामले में, खनन निरीक्षकों ने 1996 के नियमों के नियम 53 के तहत मामले तैयार किए और उन्हें संबंधित नियमों के अनुसार गणना की गई राशि के लिए चक्रवृद्धि के प्रस्ताव के साथ खनन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया और कलेक्टर ने उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और उसके बाद निजी अपीलकर्ताओं-उल्लंघनकर्ताओं ने निर्णय को स्वीकार कर लिया और एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 ए की उप-धारा 2 और 1996 के नियमों को ध्यान में रखते हुए मामलों को चक्रवृद्धि करने के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित दंड की राशि जमा कर दी और यहां तक कि 2006 के नियम भी एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 1 के तहत अपराधों के लिए आपराधिक शिकायतें/कार्यवाही नहीं की जाती हैं।

अनुमेय हैं और आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 ए की उप-धारा 2 में निहित बार। साथ ही, आई. पी. सी.-धारा 379/414 आई. पी. सी. के तहत अपराधों के लिए आपराधिक शिकायतें/कार्यवाही, जिन्हें अलग और अलग माना जाता है, को आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ ऊपर की गई टिप्पणियों के लिए। हालाँकि, उपरोक्त निष्कर्ष एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 ए के प्रावधानों पर विचार कर रहे हैं, जैसा कि आज भी है। यह सच हो सकता है कि उल्लंघनकर्ताओं को एम. एम. डी. आर. अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराधों को बढ़ाने की अनुमति देने से राज्य को राजस्व मिल सकता है और यह उस व्यक्ति के सिद्धांत पर होगा जो नुकसान का कारण बनता है, उसे नुकसान की भरपाई करनी होगी और पर्यावरण को नुकसान के मामले में प्रदूषण फैलाने वालों के सिद्धांत की तरह जुर्माना देना होगा। उल्लंघनकर्ताओं को केवल जुर्माने के भुगतान पर स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कुछ सख्त प्रावधान होने चाहिए जिनका निवारक प्रभाव हो सकता है ताकि

उल्लङ्घनकर्ता इस तरह के अपराध करने से पहले और पृथ्वी और प्रकृति को नुकसान पहुँचाने से पहले दो बार सोच सकते हैं। पारिस्थितिकीय असंतुलन को बहाल करना और प्रकृति को हो रहे नुकसान को रोकना राज्य का कर्तव्य है। जैसा कि इस न्यायालय ने संजय के मामले में कहा, नदी के तल और इसी तरह के संसाधनों से अत्यधिक रेत और बजरी का खनन क्षरण का कारण बनता है

नदियों से। यह आगे देखा गया है कि धमकी देने के अलावा

पुल, रेत खनन नदी के तल को बड़े और गहरे गड्ढों में बदल देता है, जिसके परिणामस्वरूप, भूजल स्तर गिर जाता है और इन नदियों के तटबंधों पर पेयजल के कुएं सूख जाते हैं।

यहां तक कि जयंत ई. टी. सी. वी. मध्य प्रदेश का राज्य

अन्यथा, रेत/खान एक सार्वजनिक संपत्ति है और राज्य उक्त सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षक है और इसलिए राज्य को पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक संवेदनशील होना चाहिए और पारिस्थितिक संतुलन और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य को हमेशा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करने के पक्ष में होना चाहिए जो गंभीर पारिस्थितिक असंतुलन पैदा कर रहे हैं और

एम. एम. डी. आर. अधिनियम जब तक बना रहता है, यह मामला वहीं छोड़ दिया जाता है और यह विधायिकाओं और संबंधित राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। [ पैरा 11] [701-डी-एच; 702-ए-एच; 703-ए-ई] 3. मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, से यह कहा जा सकता है कि आई. पी. सी. के तहत अपराधों के लिए और यहां तक कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध मामला दायर करने का निर्देश देना, यह अपराध को बढ़ाने के लिए अधिकृत व्यक्ति की किसी भी शक्ति को प्रभावित करता है। में।

वास्तव में, संजय के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, जिसमें इस न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि जहां तक आई. पी. सी. के तहत अपराध का संबंध है, एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 22 के तहत कोई रोक नहीं होगी और जब राज्य उच्च न्यायालय के समक्ष मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश का समर्थन करता है और सही होता है और जब उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश राज्य के पक्ष में होता है, तो राज्य को विशेष अनुमति याचिका/अपील दायर नहीं करनी चाहिए थी। [ पैरा 12] [703-एफ-एच; 704-ए-बी]

4. निष्कर्ष -

(i) कि मजिस्ट्रेट निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है -

संहिता आदेश की धारा 156 (3)/पुलिस स्टेशन के संबंधित प्रभारी/एस. एच. ओ. को एम. एम. डी. आर. अधिनियम और बनाए गए नियमों के तहत अपराधों के लिए भी अपराध का मामला/एफ. आई. आर. दर्ज करने/दर्ज करने का निर्देश देता है। इसके तहत और इस स्तर पर एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रतिबंध को आकर्षित नहीं किया जाएगा।

ii) एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रतिबंध केवल तभी आकर्षित किया जाएगा जब मजिस्ट्रेट इसका संज्ञान लेगा।

एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराध और एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराधों के लिए प्रक्रिया/समन जारी करने का आदेश; [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में संज्ञान लेने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर की जाने वाली शिकायत की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना उक्त अपराध का संज्ञान लेना; और (iv) कि एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में, जब एक मजिस्ट्रेट

संहिता की धारा 156 (3) के तहत आदेश पारित करता है और निर्देश देता है

अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में अपराध मामला/प्राथमिकी दर्ज करने/दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन का संबंधित प्रभारी/एस. एच. ओ. और उसके बाद जांच के बाद पुलिस स्टेशन का संबंधित प्रभारी/जांच अधिकारी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसे संबंधित मजिस्ट्रेट के साथ-साथ संबंधित अधिकृत अधिकारी को भी भेजा जा सकता है जैसा कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 22 में उल्लिखित है और इसके बाद संबंधित अधिकृत अधिकारी शिकायत दर्ज करा सकता है।

मजिस्ट्रेट के समक्ष संबंधित जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ और उसके बाद मजिस्ट्रेट के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद संज्ञान लेने, एम. एम. डी. आर. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में प्रक्रिया/समन जारी करने का अधिकार होगा और उस स्तर पर यह कहा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है।

v) ऐसे मामले में जहां उल्लंघनकर्ता को समझौता करने की अनुमति है

एमएमडीआर की धारा 23 ए की उप-धारा 2 पर विचार करते हुए, धारा 23 ए की उप-धारा 1 के अनुसार जुर्माने के भुगतान पर अपराध

अधिनियम, एमएमडीआर अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में अपराधी के खिलाफ कोई कार्यवाही या आगे की कार्यवाही नहीं होगी। हालांकि, धारा 23 ए की उप-धारा 2 के तहत प्रतिबंध आईपीसी की धारा 379 और 414 जैसे अपराधों के लिए किसी भी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा और उसी के साथ आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराध-एमएमडीआर की धारा 4/21 केवल कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई है। [ पारस 13,14] [704-सी-एच; 705-ए-डी] जयंत ईटीसी. वी.

मध्य प्रदेश का राज्य

कृष्ण पिल्लई बनाम। टी. ए. राजेंद्रन (1990) पूरक। एससीसी

121 ; मनोहर एम. गलानी बनाम अशोक एन. आडवाणी (1999) 8

एससीसी 737: [ 1999 ] 4 पूरक। एस. सी. आर. 458; एस. के. सिन्हा, प्रमुख

प्रवर्तन अधिकारी बनाम. वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

( 2008 ) 2 एस. सी. सी. 492 [2008] 2 एस. सी. आर. 36; फखरुद्दीन

अहमद बनाम। उत्तरांचल राज्य (2008) 17 एससीसी 157:

[ 2008 ] 13 एस. सी. आर. 66; सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। मनमोहन

सिंह (2012) 3 एससीसी 64: [ 2012 ] 3 एस. सी. आर. 52-विश्वसनीय। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) v. संजय (2014) 9 एससीसी

772 ; [ 2014 ] 9 एससीआर 1063; कंवर पाल सिंह बनाम। राज्य

यू. पी. (2020) 14 एस. सी. सी. 331-निर्दिष्ट।

मामला कानून संदर्भ

[ 2014 ] 9 एससीआर 1063

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3.1

( 2020 ) 14 एससीसी 331

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5 (iii)

( 1990 ) पूरक। एससीसी 121

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9.1

[ 1984 ] 2 एससीआर 914

पीछा किया।

पै

रा 9.1

[ 1999 ] 4 पूरक। एससीआर 458

पै

रा 9.2

उस पर भरोसा करें

[ 2008 ] 2 एससीआर 36

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9.3

[ 2008 ] 13 एससीआर 66

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9.4

[ 2012 ] 3 एससीआर 52

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9.5

[ 2013 ] 9 एससीआर 869

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9.6

[ 1951 ] एससीआर 312

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10.3

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक ऐप

नं. 824-825 2020 से।

उच्च निगम के 11.05.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

मध्य प्रदेश का, एम. सी. आर. में इंदौर में बेंच। 20 का सी. सं. 49338 और एम. सी. आर. 2019 का सी. सं. 49972।

के साथ

2020 की आपराधिक अपील No.826।

श्री सौरभ मिश्रा, ए. ए. जी., देवदत्त कामत, वरिष्ठ अधिवक्ता। , पाई आर

शोएब हसन खान, आदित्य भट, राजेश इनामदार, अमित से सुश्री पंखुड़ी भारद्वाज, सनी चौधरी, अधिवक्ता। प्रकट दलों के लिए।

0 ] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और दिनांक 11.05.2020 आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, इंदौर की पीठ ने M.Cr.C नंबर. 49338/2019 और M.Cr.C. नंबर. 49972/2019 में, मूल याचिकाकर्ता के साथ-साथ मध्य प्रदेश राज्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने धारा 482 Cr.P.C के तहत दायर उपरोक्त आवेदनों को खारिज कर दिया है।

आई. पी. सी. की धारा 379 और 414, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धाराओं (इसके बाद 'एम. एम. डी. आर. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और एम. पी. खनिज (अवैध खनन की रोकथाम) के नियम 18 के तहत अपराधों के लिए संबंधित एफ. आई. आर. को रद्द करना।

परिवहन और भंडारण) नियम, 2006 (इसके बाद के रूप में संदर्भित

' 2006 नियम ')।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:

आकस्मिक निरीक्षण पर संबंधित खनन निरीक्षकों ने छोटे खनिज के साथ निजी अपीलार्थियों के ट्रैक्टर/ट्रॉलियों की जांच की

नियम, 1996 (इसके बाद '1996 नियम' के रूप में संदर्भित) और उन्हें खनन अधिकारियों के समक्ष संयोजन के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया। संबंधित 1996 के नियमों के अनुसार गणना की गई राशि के लिए समान। संबंधित खनन अधिकारियों ने उन मामलों को प्रस्तुत किया

कलेक्टर, जिन्होंने प्रस्ताव को मंजूरी दी। उल्लंघनकर्ताओं ने निर्णय को स्वीकार कर लिया और मामलों को बढ़ाने के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित राशि जमा कर दी। अवैध रूप से खुदाई/परिवहन किए गए खनिजों के साथ उनके ट्रैक्टर/ट्रॉलियों को छोड़ दिया गया।

3.1 कि कुछ समय बाद, एक दैनिक समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई-भास्कर पर 8.9.2019 अवैध खुदाई के संबंध में / चंबल, शिवना और रेतम और अन्य सहायक नदियों से खनिज रेत का परिवहन जिला मंदसौर और आसपास के जयंत ई. टी. सी. से होता है।

मध्य प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

स्थान। यह पता चला कि खनिजों के अवैध परिवहन और रॉयल्टी के भुगतान के बिना, राजस्व का नुकसान हो रहा है। यह बताया गया कि खनिज रेत का अवैध खनन, भंडारण और परिवहन बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। इसी तरह की जानकारी भी थी

बाद में दैनिक समाचार पत्र में 3.10.2019 पर प्रकाशित हुआ-मंदसौर संस्करण में भास्कर। यह भी बताया गया कि आई. पी. सी. की धारा 379 और 414 के तहत अपराधों और एम. एम. डी. आर. अधिनियम और 2006 के नियमों के तहत अपराधों को आकर्षित पाए जाने के बावजूद, आवश्यक कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है और उल्लंघनकर्ताओं को 1996 के नियमों के नियम 53 के तहत अपराध को बढ़ाने की अनुमति दी गई है। विद्वत न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, मंदसौर ने उपरोक्त जानकारी पर ध्यान दिया और राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दिया। संजय, (2014) 9 एस. सी. सी. 772 ने यह विचार रखते हुए कि आई. पी. सी. के तहत अपराध और एम. एम. डी. आर. अधिनियम के तहत अपराध अलग और अलग हैं और आई. पी. सी. के साथ-साथ एम. एम. डी. आर. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए कार्यवाही दर्ज करने/शुरू करने की अनुमति है।

मजिस्ट्रेट ने धारा 156 (3), Cr.P.C. (स्वतः संज्ञान) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। जाँच की जा रही है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने यह भी निर्देश दिया कि

धारा 157, Cr.P.C के प्रावधानों के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए संबंधित पुलिस थानों के संबंधित प्रभारी/एस. एच. ओ. और प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति विद्वान मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए।

3.2 कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अनुसार,

संबंधित पुलिस थानों के प्रभारी/एस. एच. ओ. ने रेत के अवैध खनन/परिवहन के लिए उपरोक्त अपराधों के लिए अलग-अलग एफ. आई. आर. एस. दर्ज किए, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

पुलिस

घटना की तिथि

श्री. नहीं। एमसीआरसी नं.

एफ. आई. आर. सं./तिथि

स्टेशन

1

49338/2019

234 / 16.11.2019

नई अबादी

27.07.2019

एन. एम. 2,3 + 4 एस. 65. ए. 7.89

554 / 16.11.2019

वाई. डी. नगर

49340/2019

16.11.2019

49847/2019

वाई. डी. नगर

564 / 17.11.2019

20.04.2019

अफजलपुर

280 / 16.11.2019

49856/2019

30.08.2019

49859/2019

वाई. डी. नगर

20.04.2019

563 / 17.11.2019

वाई. डी. नगर

49861/2019

588 / 18.11.2019

24.08.2019

281 / 16.11.2019

अफजलपुर

49963/2019

30.08.2019

49972/2019

238 / 18.11.2019

28.08.2019

नई अबादी

दलोदा

137 / 17.11.2019

50602/2019

25.05.2019

136 / 16.11.2019

दलोदा

10

50610/2019

25.05.2019

139 / 17.11.2019

10.06.2019

50614/2019

दलो दा

वाई. डी. नगर

591 / 18.11.2019

12

50627/2019

13.06.2019

वाई. डी. नगर

551 / 16.11.2019

13

50636/2019

02.04.2019

वाई. डी. नगर

552 / 16.11.2019

14

05648/2019

02.04.

2019 [ 2020 ] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.3 कि इसके बाद निजी अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों ने संपर्क किया

उच्च न्यायालय धारा 482, Cr.P.C के तहत आवेदन जमा करके रेत के अवैध खनन/परिवहन के लिए उनके खिलाफ दर्ज उपरोक्त एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए। यह मुख्य रूप से निजी अपीलकर्ताओं और अन्य उल्लंघनकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया था कि बार की दृष्टि में धारा 22 के तहत एम. एम. डी. आर. अधिनियम, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज करने का निर्देश देने वाला आदेश अस्थिर है और रद्द किए जाने और दरकिनार किए जाने के योग्य है। निजी अपीलार्थियों और अन्य उल्लंघनकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि एक बार जब 1996 के नियमों के नियम 53 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराध का चक्रवृद्धि हो गया था और उल्लंघनकर्ताओं ने उन्हें अपराध का चक्रवृद्धि करने की अनुमति देकर निर्धारित राशि का भुगतान किया था, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट को नई कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देना उचित नहीं था जो "दोहरे खतरे" के सिद्धांत से प्रभावित होगा। कि विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने संजय (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए उपरोक्त सभी आवेदनों को खारिज कर दिया है।

4. रद्द करने से इनकार करने में उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना

निजी अपीलकर्ताओं और अन्य उल्लंघनकर्ताओं, मूल याचिकाकर्ताओं-उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ दायर प्राथमिकियों ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है। हालांकि, उच्च न्यायालय के समक्ष, मध्य प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक ने विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए आदेश का समर्थन किया, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने/दर्ज करने का निर्देश दिया गया था, राज्य ने विवादित फैसले और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए एक अलग विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी है जो विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करता है। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि उच्च न्यायालय के समक्ष विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश का समर्थन करने के बावजूद, मध्य प्रदेश राज्य ने विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी है, जिस पर नीचे विचार किया जाएगा।

5. निजी अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवदत्त कामत ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

i) निजी अपीलार्थियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना और संबंधित एफ. आई. आर. एस. दायर करना, जो एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 22 और 23 ए के साथ-साथ 1996 के नियमों के नियम 53 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अनुसार दायर/दर्ज किए गए हैं।

(ii) धारा 22 को सीधे पढ़ने पर, मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान केवल तभी लिया जा सकता है जब उस जयंत ई. टी. सी. में लिखित शिकायत हो।

खनन अधिकारी/अधिकृत अधिकारी द्वारा सम्मान। वर्तमान मामले में, निश्चित रूप से, खनन अधिकारी/अधिकृत अधिकारी द्वारा कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है।

iii) एम. एम. डी. आर. अधिनियम मजिस्ट्रेट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने पर विचार नहीं करता है। मजिस्ट्रेट के पास एमएमडीआर अधिनियम के तहत खनन अधिकारी/प्रभारी पुलिस अधिकारी को एमएमडीआर अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। संजय (सुप्रा) के मामले में और साथ ही कंवर पाल सिंह बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भारी निर्भरता रखी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य, 2019 की आपराधिक अपील संख्या 1920, दिसंबर में तय की गई

18 , 2019 ;

iv) एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 23 ए में चक्रवृद्धि पर विचार किया गया है

अपील के ज्ञापन में बताए गए आधारों में से एक यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश, अपराध को बढ़ाने के लिए अधिकृत व्यक्ति की शक्तियों को बाधित/प्रभावित करता है। 2006 के नियमों के नियम 18 के तहत।

0 ] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. संबंधित पक्षों की ओर से प्रस्तुत करने से पहले

एम. एम. डी. आर. अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित संजय (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार किया जाता है जिसमें यह न्यायालय

एमएमडीआर अधिनियम की नीति और उद्देश्य और उसके तहत बनाए गए नियमों पर विस्तार से विचार किया जाना आवश्यक है। 7.1 इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न उठा था, वह यह था कि क्या धारा 21,22 और अन्य में निहित प्रावधान

एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धाराएँ अभियोजन के विरुद्ध अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं।

व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया गया है जो दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धाराओं 379/414 और अन्य प्रावधानों के तहत अपराध है। सवाल यह उठा कि क्या एम. एम. डी. आर. अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट रूप से या निहित रूप से दंड संहिता (आई. पी. सी.) के प्रावधानों को बाहर करते हैं, जबकि किसी आरोपी का कार्य दंड संहिता और एम. एम. डी. आर. अधिनियम के प्रावधानों दोनों के तहत अपराध है। इस न्यायालय ने पैराग्राफ 32 से 39 में एम. एम. डी. आर. अधिनियम की नीति, उद्देश्य और उद्देश्य पर विस्तार से विचार किया, जो निम्नानुसार हैः

" 32. खान और खनिज अधिनियम और नियमों की नीति और उद्देश्य का एक लंबा इतिहास है और यह गंभीर पारिस्थितिक असंतुलन को बहाल करने और प्रकृति को हो रहे नुकसान को रोकने की अनिवार्य आवश्यकता के बारे में बढ़ती जागरूकता का परिणाम है। न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि यू. एन. ई. पी. वैश्विक पर्यावरण चेतावनी सेवा रिपोर्ट में रेत खनन के प्रतिकूल और विनाशकारी पर्यावरणीय प्रभाव पर चर्चा की गई है। के अनुसार

रिपोर्ट की सामग्री, नदी रेत खनन के लिए उचित वैज्ञानिक पद्धति की कमी के कारण अंधाधुंध रेत खनन हुआ है, जबकि कमजोर शासन और भ्रष्टाचार के कारण व्यापक अवैध खनन हुआ है। भारत में इस प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए कहा गया कि रेत का व्यापार एक आकर्षक व्यवसाय है और हमारे देश में प्रभावशाली माफियाओं के मामले जैसे अवैध व्यापार के प्रमाण हैं। 33. नदियों में समुच्चय के खनन से नदियों को गंभीर नुकसान हुआ है, जिसमें प्रदूषण और पी. एच. के स्तर में परिवर्तन शामिल हैं। नदियों से तलछट को हटाने से नदी घाटी के तल के तल के माध्यम से अपने चैनल को काटती है, या चैनल चीरा, निष्कर्षण स्थल के ऊपर और नीचे दोनों ओर। इससे बिस्तर सामग्री का मोटा होना और पार्श्व चैनल अस्थिरता पैदा होती है। यह नदी के तल को ही बदल सकता है। भारत में वेम्बनाड झील के जलग्रहण क्षेत्र से प्रति वर्ष 1 करोड़ 20 लाख टन से अधिक रेत हटाने के कारण

नदी के तल को प्रति वर्ष 7 से 15 सेमी तक कम करना।

चीरा जा सकता है ETC. v. मध्य प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

जलोढ़ जलभृत के निचले स्तर तक बहने का कारण भी बनता है, जिसके परिणामस्वरूप जलभृत भंडारण का नुकसान होता है। यह बाढ़ नियंत्रण क्षमता को कम करके बाढ़ की आवृत्ति और तीव्रता को भी बढ़ा सकता है। हालांकि, जल स्तर को कम करने से पानी की आपूर्ति के लिए सबसे अधिक खतरा है, जिससे सूखे की घटना और गंभीरता बढ़ जाती है क्योंकि रेत खनन के कुछ हद तक पहुंचने पर प्रमुख नदियों की सहायक नदियां सूख जाती हैं। अवैध रेत खनन भी कटाव का कारण बनता है। बांध और खनन ने नदियों से कई तटीय क्षेत्रों में तलछट वितरण को कम कर दिया है, जिससे

समुद्र तट कटाव में तेजी आई।

34. रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था पर रेत खनन के आश्चर्यजनक प्रभाव पर भी चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि पर्यटन प्रभावित हो सकता है।

समुद्र तट मोर्चों की सुरक्षा में कमी के माध्यम से बाढ़, सूखा और तूफान जैसी चरम घटनाओं के प्रभाव में वृद्धि के माध्यम से प्रभावित। तटीय क्षेत्रों का क्षरण और समुद्र तट घरों और बुनियादी ढांचे को प्रभावित करते हैं। बेड लोड या चैनल शॉर्टिंग में कमी डाउनस्ट्रीम कटाव का कारण बन सकती है जिसमें तट कटाव और पुलों, साइड सुरक्षा दीवारों और जल आपूर्ति के लिए संरचनाओं जैसी इंजीनियरिंग संरचनाओं को कम करना या कम करना शामिल है।

35. होटल, सड़कें और पर्यटन से संबंधित अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए अक्सर समुद्र तटों से रेत को हटा दिया जाता है। कुछ स्थानों पर,

निरंतर निर्माण से एक अस्थिर स्थिति पैदा होने और आगंतुकों के लिए मुख्य प्राकृतिक आकर्षण-समुद्र तटों के नष्ट होने की संभावना है। नदी के तल के भीतर या पास से खनन का धारा की भौतिक विशेषताओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि चैनल ज्यामिति, तल की ऊंचाई, तलछट संरचना और स्थिरता, तल की खुरदरापन, प्रवाह वेग, निर्वहन क्षमता, तलछट परिवहन क्षमता, मैलापन, तापमान आदि। उपरोक्त विशेषताओं में परिवर्तन या संशोधन नदी शासन के पारिस्थितिक संतुलन पर खतरनाक प्रभाव डाल सकता है। यह इनस्ट्रीम बायोटा और रिपेरियन आवासों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यह गड़बड़ी चैनल विन्यास और प्रवाह पथ में परिवर्तन का कारण भी बन सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

36. एम. पलानीसामी बनाम। टी. एन. राज्य (2012) 4 सी. टी. सी. 1, तमिलनाडु खान और खनिज रियायत नियम, 1959 के संशोधित प्रावधानों को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने और प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से उक्त नियम अधिकार से बाहर हैं।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के संवैधानिक प्रावधान और प्रावधान। नियमों की शक्तियों को बनाए रखते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ (हममें से एक, इकबाल, जे. जैसा कि वे उस समय थे) ने रेत सहित खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण में लगाए गए प्रतिबंध के उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा की और विभिन्न रिपोर्टों पर विचार करने के बाद इस प्रकार कहाः ( सीटीसी पीपी। 24-25 , पैरा 21 & 23-24)

" 21. इन रिट याचिकाओं में शामिल मुद्दे की सराहना करने के लिए, हमें इसके प्रभाव को व्यापक रूप से देखना होगा।

हमारे पहले से ही भंगुर पारिस्थितिक तंत्र पर अंधाधुंध, निर्बाध रेत उत्खनन। विशेषज्ञ रिपोर्टों के अनुसार, हजारों वर्षों से सड़कों और भवनों के निर्माण में रेत और बजरी का उपयोग किया जाता रहा है। आज रेत और बजरी की मांग लगातार बढ़ रही है। खनन संचालक, बालू खनन को जिम्मेदार तरीके से सुनिश्चित करने के लिए संज्ञानात्मक संसाधन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के बजाय, पूर्णकालिक मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं। नदी के तल और इसी तरह के संसाधनों से धाराओं में रेत और बजरी का अत्यधिक खनन नदियों के क्षरण का कारण बनता है। इन-स्ट्रीम खनन धारा के तल को कम करता है, जिससे तट का कटाव होता है। नदी के तल और तटीय क्षेत्रों में रेत के घटने से नदियाँ और ज्वारनदमुख गहरे हो जाते हैं और

नदी के मुहाने और तटीय इनलेट्स का विस्तार। यह भी होता है

पास के समुद्र से खारे पानी की घुसपैठ। खनन का प्रभाव समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रभाव से बढ़ जाता है। की कोई भी मात्रा

धारा-तल और तटीय क्षेत्रों से निर्यात की जाने वाली रेत प्रणाली के लिए एक नुकसान है। धाराओं में अत्यधिक रेत खनन पुलों, नदी के किनारों और आस-पास की संरचनाओं के लिए खतरा है। रेत खनन आस-पास की भूजल प्रणाली और स्थानीय लोगों द्वारा नदी के उपयोग को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा, शोधों के अनुसार, इन-स्ट्रीम रेत खनन के परिणामस्वरूप चैनल मॉर्फोलॉजी में थोक परिवर्तनों के माध्यम से जलीय और नदी तटीय आवास का विनाश होता है। दुष्प्रभावों में बिस्तर का क्षरण, बिस्तर का मोटा होना, धारा-तल के पास पानी का स्तर कम होना और चैनल की अस्थिरता शामिल हैं। ये भौतिक प्रभाव नदी तटीय और जलीय जीवों के क्षरण का कारण बनते हैं और जयंत ई. टी. सी.।

पुलों और अन्य संरचनाओं को कमजोर करने का कारण बनता है। नदी के तल से रेत के निरंतर निष्कर्षण से पूरी धारा तल खुदाई की गहराई तक गिर सकता है।

*

23. जलीय आवासों पर इन-स्ट्रीम रेत खनन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव तल क्षरण और अवसादन है, जिसका जलीय जीवन पर पर्याप्त नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रेत के तल और बजरी के तल वाली धाराओं की स्थिरता धारा के प्रवाह, जलविभाजक से आपूर्ति किए जाने वाले तलछट और नहर के रूप के बीच एक नाजुक संतुलन पर निर्भर करती है। तलछट आपूर्ति और चैनल के रूप में खनन-प्रेरित परिवर्तन चैनल और आवास विकास प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं। इसके अलावा, अस्थिर सब्सट्रेट की गति के परिणामस्वरूप नीचे की ओर आवासों का अवसादन होता है। प्रभावित दूरी खनन की तीव्रता, कणों के आकार, धारा प्रवाह और चैनल आकृति विज्ञान पर निर्भर करती है। 24. पुलों को खतरे में डालने के अलावा, रेत खनन नदी के तल को बड़े और गहरे गड्ढों में बदल देता है; परिणामस्वरूप, भूजल स्तर गिर जाता है और इन नदियों के तटबंधों पर पेयजल के कुएं सूख जाते हैं। इन-स्ट्रीम खनन से तल क्षरण धारा प्रवाह और बाढ़ के मैदान के जल स्तर की ऊंचाई को कम करता है, जो बदले में, तटवर्ती क्षेत्रों में जल स्तर-निर्भर लकड़ी की वनस्पति को समाप्त कर सकता है और तटवर्ती आर्द्रभूमि में आर्द्र अवधि को कम कर सकता है। जहाँ तक समुद्र के निकट के स्थानों का संबंध है, खारा पानी ताजे जल निकाय में घुस सकता है।

( 2012 ) 3 एस. सी. सी. 1, यह न्यायालय, यह देखते हुए कि प्राकृतिक संसाधन सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्रीय संपत्ति हैं, जो निम्नानुसार हैं: ( एस. सी. सी पी. 53, पैरा 75)

हालाँकि, चूंकि वे सार्वजनिक संपत्ति/राष्ट्रीय संपत्ति हैं, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का वितरण करते समय राज्य इस मामले में कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। समानता और सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांतों के अनुरूप और यह सुनिश्चित करना कि ऐसी कोई कार्रवाई न की जाए जो सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हो। किसी भी अन्य राज्य कार्रवाई की तरह, संवैधानिकता प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के हर चरण में परिलक्षित होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) में यह प्रावधान किया गया है कि सामग्री का स्वामित्व और नियंत्रण [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समुदाय के संसाधनों का वितरण इस तरह किया जाना चाहिए कि -

आम भलाई के लिए सबसे अच्छा, लेकिन कोई व्यापक नहीं

आम तौर पर प्राकृतिक को परिभाषित करने के लिए कानून बनाया गया है।

विशिष्ट प्राकृतिक संसाधनों जैसे वन, वायु, जल, तटीय क्षेत्रों से निपटना। क्षेत्र, आदि "।

3. एम. सी. मेहता बनाम कमल नाथ (1997) 1 एस. सी. सी. 388, यह न्यायालय सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत पर विचार कर रहा है जो निम्नानुसार देखे गए प्राकृतिक संसाधनों तक फैला हुआ है: ( एससीसी पीपी। 407-08 & 413 , रास 24-25 और 34)

" 24. प्राचीन रोमन साम्राज्य ने एक कानूनी सिद्धांत विकसित किया

'पब्लिक ट्रस्ट के सिद्धांत' के रूप में जाना जाता है। यह इन विचारों पर आधारित था कि कुछ सामान्य गुण जैसे कि नदियाँ, आम जनता के स्वतंत्र और निर्बाध उपयोग के लिए सरकार द्वारा समुद्र तट, वन और वायु को न्यासी के रूप में रखा गया था। 'पर्यावरण' के बारे में हमारी समकालीन चिंता इस कानूनी सिद्धांत के साथ बहुत करीबी वैचारिक संबंध रखती है। रोमन कानून के तहत ये संसाधन या तो किसी के स्वामित्व में नहीं थे (रेस नुलियस) या सभी के स्वामित्व में थे (रेस कम्युनियस)। के तहत

हालाँकि, अंग्रेजी सामान्य कानून के अनुसार, संप्रभु इन संसाधनों का मालिक हो सकता था, लेकिन स्वामित्व प्रकृति में सीमित था, क्राउन इन संपत्तियों को निजी मालिकों को नहीं दे सकता था यदि प्रभाव नौवहन या मछली पकड़ने में सार्वजनिक हितों में हस्तक्षेप करना था। जो संसाधन इन उपयोगों के लिए उपयुक्त थे, उन्हें क्राउन द्वारा लाभ के लिए विश्वास में रखा गया था

सार्वजनिक। जोसेफ एल. सैक्स, कानून के प्रोफेसर, विश्वविद्यालय

मिशिगन-आधुनिक सार्वजनिक न्यास सिद्धांत के प्रस्तावक

एक विद्वतापूर्ण लेख 'पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इन नेचुरल' में

संसाधन कानून: प्रभावी न्यायिक हस्तक्षेप ', मिशिगन

' आधुनिक सार्वजनिक न्यास कानून का स्रोत एक ऐसी अवधारणा में पाया जाता है जिसने रोमन और अंग्रेजी कानून में बहुत ध्यान आकर्षित किया - नदियों, समुद्र और समुद्र तट में संपत्ति अधिकारों की प्रकृति।

उस इतिहास पर कानूनी साहित्य में काफी ध्यान दिया गया है और यहां विस्तार से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दो बिंदुओं पर जोर दिया जाना चाहिए। सबसे पहले, कुछ रुचियाँ, जैसे कि YANT ETC. v.

मध्य प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

नौवहन और मछली पकड़ने को जनता के लाभ के लिए संरक्षित करने की मांग की गई थी; तदनुसार, उन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति को सामान्य सार्वजनिक संपत्ति से अलग किया गया था जो

जैसे कि समुद्र तट, राजमार्ग और बहते पानी-"निरंतर उपयोग जनता के लिए समर्पित था", यह कभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या जनता को इसे रोकने का एक प्रवर्तनीय अधिकार था। उन हितों का उल्लंघन। हालाँकि राज्य ने स्पष्ट रूप से सार्वजनिक उपयोगों की रक्षा की, लेकिन इस बात का कोई सबूत उपलब्ध नहीं है कि एक अवज्ञाकारी के खिलाफ सार्वजनिक अधिकारों का कानूनी रूप से दावा किया जा सकता है।

"सरकार" ""

25. सार्वजनिक न्यास सिद्धांत मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है -

कि वायु, समुद्र, जल और वन जैसे कुछ संसाधनों का समग्र रूप से लोगों के लिए इतना बड़ा महत्व है कि उन्हें एक विषय बनाना पूरी तरह से अनुचित होगा।

निजी स्वामित्व। उक्त संसाधन प्रकृति का एक उपहार होने के कारण, उन्हें सभी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

जीवन में स्थिति। सिद्धांत का आदेश है कि

सरकार निजी स्वामित्व या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उनके उपयोग की अनुमति देने के बजाय आम जनता के आनंद के लिए संसाधनों की रक्षा करे। प्रोफेसर के अनुसार

सैक्स द पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत निम्नलिखित लागू करता हैः

सरकारी प्राधिकार पर प्रतिबंधः

' सरकारी प्राधिकरण पर तीन प्रकार के प्रतिबंध अक्सर सार्वजनिक न्यास द्वारा लगाए जाने के बारे में सोचा जाता हैः सबसे पहले, न्यास के अधीन संपत्ति का उपयोग केवल एक के लिए नहीं किया जाना चाहिए

सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, लेकिन इसे उपयोग के लिए उपलब्ध होना चाहिए आम जनता; दूसरा, संपत्ति को उचित नकद समतुल्य के लिए भी नहीं बेचा जा सकता है; और तीसरा संपत्ति को विशेष प्रकार के उपयोगों के लिए बनाए रखा जाना चाहिए।

*

*

34. अंग्रेजी सामान्य कानून पर आधारित हमारी कानूनी प्रणाली

इसके हिस्से के रूप में सार्वजनिक न्यास सिद्धांत शामिल है

न्यायशास्त्र। राज्य उन सभी प्राकृतिक संसाधनों का न्यासी है जो स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक उपयोग और आनंद के लिए हैं। बड़े पैमाने पर जनता [2020] 11 एस. सी. आर. की लाभार्थी है।

समुद्र तट, बहता पानी, हवा, जंगल और पारिस्थितिक रूप से नाजुक भूमि। न्यासी के रूप में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना राज्य का कानूनी कर्तव्य है। सार्वजनिक उपयोग के लिए इन संसाधनों को निजी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। स्वामित्व "।

39. बौद्धिक मंच v. ए. पी. राज्य (2006) 3 एस. सी. सी. 549, इस न्यायालय ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और शहरी विकास को संतुलित करते हुए निम्नानुसार अवलोकन कियाः ( एस. सी. सी पी. 572 , पैरा

67 )

" 67. पर्यावरण की रक्षा करने की राज्य की जिम्मेदारी अब सभी देशों में एक सर्व-स्वीकृत धारणा है। यह है धारणा

कि, अंतर्राष्ट्रीय कानून में, अपने भीतर उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के लिए 'राज्य की जिम्मेदारी' के सिद्धांत को जन्म दिया

क्षेत्र (कोर्फू चैनल मामला 1 4)। यह जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से है

मानव पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रतिपादित

पर्यावरण, स्टॉकहोम 1972 (स्टॉकहोम कन्वेंशन), जिसमें भारत एक पक्ष था। इस घोषणा का सुसंगत खंड

वर्तमान संदर्भ में पैरा 2 है, जिसमें कहा गया हैः

' वायु सहित पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन,

जल, भूमि, वनस्पति और जीव और विशेष रूप से प्रतिनिधि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के नमूनों को संरक्षित किया जाना चाहिए

सावधानीपूर्वक कार्य करके वर्तमान और भावी पीढ़ियों को लाभ योजना या प्रबंधन, जैसा उचित हो। '

इस प्रकार, इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि एक जिम्मेदारी है

सरकार को संरक्षण और संरक्षण के लिए दिया गया

टैंक, जो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं

क्षेत्र। ”

7.2 इस न्यायालय ने पैराग्राफ 60 और 69 में आगे कहाः

" 60. कोई दो राय नहीं हो सकती कि प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र और उसके नागरिकों की संपत्ति हैं। केंद्र और राज्य सरकारों सहित सभी संबंधितों का यह दायित्व है कि वे ऐसे मूल्यवान संसाधनों का संरक्षण करें और उन्हें बर्बाद न करें। संविधान के अनुच्छेद 48-ए में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसी तरह, अनुच्छेद 51-ए प्रत्येक व्यक्ति पर एक कर्तव्य का आदेश देता है।

वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और सभी जयंत ई. टी. सी. के प्रति करुणा रखने के लिए नागरिक।

मध्य प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

जीवित प्राणी। संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक विश्वास का सिद्धांत देश का कानून बन गया है। उक्त सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि वायु, समुद्र, जल और वन जैसे कुछ संसाधन समग्र रूप से लोगों के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें एक विषय बनाना अत्यधिक अनुचित होगा।

निजी स्वामित्व।

69. व्याख्या के सिद्धांतों और धारा 22 में उपयोग किए गए शब्दों को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय में, यह प्रावधान नदी के तल से रेत सहित खनिजों की अवैध और बेईमानी से चोरी करने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई करने के लिए एक पूर्ण और पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेगा कि वर्षों से भारत में नदियां अनियंत्रित रेत खनन की खतरनाक दर से प्रभावित हुई हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रही हैं नदियों और पुलों की सुरक्षा। यह नदी के तल, मछली प्रजनन को भी कमजोर करता है और कई जीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देता है। यदि राज्य और राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा इन अवैध गतिविधियों को नहीं रोका जाता है, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। यह न केवल नदी जल विज्ञान को बदलेगा

लेकिन यह भूजल स्तर को भी कम कर देगा।

7.3 कि इसके बाद, [एम. डी. आर. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने राय दी कि दंड संहिता के तहत कोई पूर्ण और पूर्ण अभियोजन व्यक्ति नहीं है जहां अपराध

व्यक्तियों द्वारा आरोपित किया जाना दंडात्मक और संज्ञेय अपराध है। अंत में यह

पैराग्राफ 72 और 73 में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला गया हैः

" 72. एम. एम. डी. आर. अधिनियम के प्रावधानों और आई. पी. सी. की धारा 378 के तहत परिभाषित अपराध को बारीकी से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि अपराध का गठन करने वाले तत्व अलग-अलग हैं। द. अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन करते हुए खनन पट्टे के नियमों और शर्तों का उल्लंघन या खनन गतिविधि करना एक अपराध है।

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय, जबकि

बेईमानी से रेत, बजरी और अन्य खनिजों को हटाना

नदी, जो राज्य की संपत्ति है, सहमति के बिना राज्य के कब्जे से बाहर, चोरी का अपराध है। इसलिए, केवल इसलिए कि शिकायत के आधार पर एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए कार्यवाही शुरू करने से पुलिस को रेत और खनिजों की चोरी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका नहीं जा सकता है और न ही रोका जा सकता है।

आपराधिक संहिता [2020] 11 एस. सी. आर. के तहत शक्ति का प्रयोग करके ऊपर उल्लिखित।

प्रक्रिया करें और लेने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें

ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ संज्ञान। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामले में जहां सरकारी भूमि से रेत और बजरी की चोरी होती है, पुलिस मामला दर्ज कर सकती है, उसी की जांच कर सकती है और अंतिम रिपोर्ट जमा कर सकती है

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (डी) में दिए गए प्रावधान के अनुसार संज्ञान लेने के उद्देश्य से अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट करना।

73. इस मामले में अपना विचारशील विचार देने के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता और दंड संहिता के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में, हमारी निश्चित राय है कि एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराध का गठन करने वाले तत्व और बिना सहमति के नदी के तल से रेत और बजरी को बेईमानी से हटाने के तत्व, जो कि राज्य की संपत्ति है, आईपीसी के तहत एक अलग अपराध है। इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 378 के तहत अपराध करने के लिए, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अधिकार क्षेत्र वाला मजिस्ट्रेट शिकायत की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना उक्त अपराध का संज्ञान ले सकता है जो एम. एम. डी. आर. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में संज्ञान लेने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर की जा सकती है। नतीजतन, द्वारा लिया गया विपरीत दृष्टिकोण

इस संबंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा की गई लिखित शिकायत केवल तभी आकर्षित की जाएगी जब ऐसे व्यक्ति पर एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाने की मांग की जाएगी, न कि कोई कार्य या चूक जो दंड संहिता के तहत अपराध है।

8. हालाँकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि संजय (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय के पास कोई अवसर नहीं था और/या इस बात पर विचार नहीं किया था कि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत कब और किस स्तर पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आगे जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि मजिस्ट्रेट ने कब और किस स्तर पर एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 22 के तहत बार को आकर्षित करते हुए संज्ञान लिया है?

जयंत ई. टी. सी. वी. मध्य प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

8.1 उपरोक्त मुद्दे पर विचार करते हुए, एमएमडीआर की धारा 22

अधिनियम को संदर्भित करने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार हैः

" 22. अपराधों का संज्ञान। केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में की गई शिकायत के अलावा कोई भी अदालत इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।

उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि एमएमडीआर अधिनियम या बनाए गए नियमों के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान

इसके तहत केवल किसी व्यक्ति द्वारा की गई लिखित शिकायत पर ही लिया जाएगा।

केंद्र सरकार या राज्य द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत सरकार। इसलिए, एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 22 को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने पर प्रतिबंध आकर्षित होगा।

9. आइए अब हम न्यायिक के आलोक में इस प्रश्न पर विचार करें।

बिन्दु पर घोषणाएँ। 9.1 . कृष्ण पिल्लई बनाम के मामले में। टी. ए. राजेंद्रन, 1990 (सप्लीमेंट) एस. सी. सी. 121, ए. आर. अंतुले बनाम के मामले में इस न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर विचार करने के बाद। रामदास श्रीनिवास नायक, (1984) 2 एस. सी. सी. 500, यह पैराग्राफ 4 में निम्नानुसार मनाया गया हैः

" 4. संज्ञान लेना हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र में एक विशेष अर्थ रखता है। हम ए. आर. अंतुले बनाम में इस न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का उल्लेख कर सकते हैं। रामदास श्रीनिवास नायक (ऊपर) पी। 530 ( रिपोर्ट के पैरा 31) में इस न्यायालय ने संकेत दियाः

" जब कोई निजी शिकायत दायर की जाती है, तो अदालत को शिकायतकर्ता से धारा 200 सी. आर. पी. सी. के प्रावधान में निर्धारित मामलों को छोड़कर शपथ पर पूछताछ करनी होती है। शिकायतकर्ता से शपथ पर पूछताछ करने और उपस्थित गवाहों से पूछताछ करने के बाद, यदि कोई हो, जिसका अर्थ है कि उपस्थित नहीं होने वाले गवाहों से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो अदालत के लिए यह न्यायिक रूप से निर्धारित करने के लिए खुला होगा कि क्या कोई मामला है या नहीं।

जारी करने की प्रक्रिया के लिए बनाया गया। जब यह कहा जाता है कि अदालत ने प्रक्रिया जारी की है, तो इसका मतलब है कि अदालत ने अपराध का संज्ञान लिया है और कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है और एक दृश्य

संज्ञान लेने की प्रक्रिया की अभिव्यक्ति जारी की जाती है जो इसका मतलब है कि अभियुक्त को अदालत में पेश होने के लिए कहा जाता है। "[2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान पीठ के फैसले के उद्धरण से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि अदालत में शिकायत दर्ज करना संज्ञान नहीं ले रहा है और जो वास्तव में संज्ञान लेना है वह शिकायत दर्ज करने से अलग है। 9.2 मनोहर एम. गलानी बनाम के मामले में अशोक एन. आडवाणी

( 1999 ) 8 एस. सी. सी. 737, जब धारा 195 करोड़ के तहत प्रतिबंध। पी. सी. को सेवा में लगाया गया और उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई एफ. आई. आर. के आधार पर शिकायत और जांच को रद्द कर दिया, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करते हुए, इस न्यायालय ने राज्य की ओर से इस निवेदन को स्वीकार किया कि धारा 195 Cr.P.C के तहत प्रतिबंध को उस स्तर पर लिया जा सकता है जब अदालत अपराध का संज्ञान लेती है।

और प्राप्त जानकारी के आधार पर जांच को रद्द नहीं किया जा सकता था और एक जांच एजेंसी को इस स्तर पर जांच के साथ आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सकता था, विशेष रूप से जब आरोप गंभीर और गंभीर हों।

9.3 एस. के. सिन्हा के मामले में, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी बनाम. वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (2008) 2 एस. सी. सी. 492, पैराग्राफ में

19 34 तक, यह निम्नानुसार मनाया और आयोजित किया जाता हैः

" 19. संहिता में "संज्ञान" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन शब्द (संज्ञान) अनिश्चित महत्व का है। आपराधिक कानून में इसका कोई गूढ़ या रहस्यमय महत्व नहीं है। इसका अर्थ केवल "जागरूक होना" है और जब इसका उपयोग किसी अदालत या न्यायाधीश के संदर्भ में किया जाता है, तो इसका अर्थ "न्यायिक रूप से ध्यान देना" होता है। यह उस बिंदु को इंगित करता है जब कोई अदालत या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे अपराध के संबंध में कार्यवाही शुरू करने की दृष्टि से किसी अपराध का न्यायिक नोटिस लेता है।

20. " संज्ञान लेने में किसी भी प्रकार की औपचारिक कार्रवाई शामिल नहीं है। यह तब होता है जब एक मजिस्ट्रेट अपने दिमाग को लागू करता है

किसी अपराध के होने का संदेह। आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से पहले संज्ञान लिया जाता है। इस प्रकार संज्ञान लेना एक वैध परीक्षण आयोजित करने के लिए एक अनिवार्य या शर्त पूर्ववर्ती है। संज्ञान को अपराध के रूप में लिया जाता है न कि अपराधी के रूप में। मजिस्ट्रेट ने किसी अपराध का संज्ञान लिया है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और मजिस्ट्रेट कब होगा, इस बारे में सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

कहा जा सकता है कि उन्होंने संज्ञान लिया है।

21. संहिता का अध्याय XIV (धारा 190-199) "कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तों" से संबंधित है। धारा 190 मजिस्ट्रेट को कुछ मामलों में किसी अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देती है। परिस्थितियाँ। इसकी उप-धारा (1) सामग्री है और इसे विस्तार से उद्धृत किया जा सकता है:

" 190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान (1) इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन, प्रथम का कोई मजिस्ट्रेट

वर्ग, और विशेष रूप से द्वितीय श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट उप-धारा (2) के तहत इस संबंध में सशक्त व्यक्ति किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है।

( ए) तथ्यों की शिकायत प्राप्त करने पर जो गठित करते हैं इस तरह के अपराध;

( ख) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर;

( ग) पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना पर, या उसकी अपनी जानकारी पर, कि ऐसा अपराध

प्रतिबद्ध किया गया है "।

22. अध्याय XV (धारा 200-203) "मजिस्ट्रेटों को शिकायत" से संबंधित है और अदालत में या मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही के वास्तविक प्रारंभ से पहले के मामलों को शामिल करता है। संहिता की धारा 200 एक मजिस्ट्रेट से किसी अपराध का संज्ञान लेने की अपेक्षा करती है -

शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से शपथ लेकर पूछताछ करें। हालांकि, धारा 202 यह अधिनियमित करती है कि एक मजिस्ट्रेट निश्चित रूप से आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। यह उसे प्रक्रिया जारी करने से पहले या तो स्वयं मामले की जांच करने या निर्देश देने में सक्षम बनाता है।

एक पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली जाँच जो वह यह तय करने के उद्देश्य से उचित समझता है कि क्या

यह आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है। धारा 202 के तहत जांच का अंतर्निहित उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है। इस प्रकार यह मजिस्ट्रेट को यह राय बनाने की अनुमति देता है कि क्या प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए या नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 202 के तहत जांच का दायरा बेहद सीमित है। उस स्तर पर, एक मजिस्ट्रेट को यह देखने के लिए कहा जाता है कि क्या मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है और क्या इसके लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

अभियुक्त को दोषसिद्धि।

23. इसके बाद अध्याय XVI (मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही की शुरुआत) आता है। यह अध्याय संज्ञान [2020] 11 एस. सी. आर. के बाद ही लागू होगा।

एक मजिस्ट्रेट द्वारा अध्याय के तहत एक अपराध लिया गया है

XIV। धारा 204, जिसके तहत प्रक्रिया जारी की जा सकती है, एक अन्य सामग्री प्रावधान है जो निम्नानुसार है:

" 204. प्रक्रिया का मुद्दा। ( 1 ) यदि मजिस्ट्रेट की राय में

अपराध का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार है - कार्यवाही, और मामला प्रतीत होता है

( ए) एक समन मामला, वह के लिए अपने समन जारी करेगा

अभियुक्त की उपस्थिति, या

( ख) वारंट के मामले में, वह वारंट जारी कर सकता है, या, यदि वह उचित समझता है, तो समन जारी कर सकता है, ताकि आरोपी को ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने एक निश्चित समय पर लाया जा सके या पेश किया जा सके या (यदि उसका स्वयं कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है) तो कोई अन्य मजिस्ट्रेट

अधिकार क्षेत्र।

( 2 ) जब तक अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची दायर नहीं की जाती, तब तक उप-धारा (1) के तहत अभियुक्त के खिलाफ कोई समन या वारंट जारी नहीं किया जाएगा।

( 3 ) लिखित रूप में की गई शिकायत पर शुरू की गई कार्यवाही में, उप-धारा (1) के तहत जारी प्रत्येक समन या वारंट

( 4 ) जब किसी भी कानून द्वारा कुछ समय के लिए कोई प्रक्रिया लागू हो शुल्क या अन्य शुल्क देय हैं, जब तक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक कोई प्रक्रिया जारी नहीं की जाएगी और यदि इस तरह के शुल्क का भुगतान एक निश्चित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है।

उचित समय पर मजिस्ट्रेट शिकायत को खारिज कर सकता है।

( 5 ) इस धारा की कोई भी बात प्रभावित करने वाली नहीं मानी जाएगी -

धारा 87 के प्रावधान।

24. संहिता की उपरोक्त योजना से, हमारे निर्णय में, यह स्पष्ट है कि अध्याय XIV में वर्णित "कार्यवाही की शुरुआत", अध्याय XVI द्वारा कवर की गई "कार्यवाही की शुरुआत" से अलग है। कार्यवाहियों की शुरुआत के लिए, कार्यवाहियों की शुरुआत होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, कार्यवाहियों की शुरुआत कार्यवाहियों के शुरू होने से पहले होनी चाहिए। अध्याय XIV के तहत कार्यवाही शुरू किए बिना, ऐसा नहीं हो सकता है अध्याय XVI के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ। उच्च न्यायालय, हमारे सुविचारित विचार में, अध्याय XIV के तहत कार्यवाही की शुरुआत की तुलना करने में सही नहीं था

अध्याय XVI के अधीन कार्यवाहियों का प्रारंभ।

25. आइए अब हम इस मुद्दे पर न्यायिक घोषणाओं के आलोक में प्रश्न पर विचार करें।

वाक्यांश "लेने" के दायरे और दायरे पर विचार करने का अवसर दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 190 के तहत "संज्ञान" जो 1973 की वर्तमान संहिता की धारा 190 के समान था। विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए, जे. दास गुप्ता (उस समय उनके अधिपति के रूप में) ने कहाः ( एयर पी। 438, पैरा 7)

" 7. ..... दंड प्रक्रिया संहिता में 'संज्ञान लेना' क्या है, इसे परिभाषित नहीं किया गया है, और मुझे अब प्रयास करने की कोई इच्छा नहीं है।

इसे परिभाषित करें। हालाँकि, मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह कहने से पहले कि किसी भी मजिस्ट्रेट ने किसी भी मामले का संज्ञान लिया है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (ए) के तहत अपराध, उसने न केवल याचिका की सामग्री पर अपना दिमाग लगाया होगा, बल्कि उसने एक विशेष तरीके से कार्यवाही करने के उद्देश्य से ऐसा किया होगा जैसा कि इस अध्याय के बाद के प्रावधानों में इंगित किया गया है। धारा 200 के तहत कार्यवाही, और उसके बाद इसे धारा 202 के तहत जांच और रिपोर्ट के लिए भेजना। जब मजिस्ट्रेट इस अध्याय की बाद की धाराओं के तहत कार्यवाही करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई करने के लिए अपना दिमाग लगाता है, जैसे कि धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश देना, या जांच के उद्देश्य के लिए तलाशी वारंट जारी करना, तो कहा नहीं जा सकता है कि उसने

अपराध "।

27. आर. आर. चारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 207 संभवतः इस मुद्दे पर इस न्यायालय का पहला प्रमुख निर्णय था। वहाँ पुलिस ने अपीलार्थी-अभियुक्त पर दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 161 और 165 के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी होने का संदेह होने पर कानपुर के जिला मजिस्ट्रेट के पास गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए आवेदन किया।

22-10-1947 . अगले दिन वारंट जारी किया गया और आरोपी को 27-10-1947 पर गिरफ्तार कर लिया गया।

28. आई. डी. 1 पर अभियुक्त को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र का जवाब देने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

अभियुक्त के अनुसार, 22-10-1947 पर, जब मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था, तो मजिस्ट्रेट को [2020] 11 एस. सी. आर. को बताया गया था।

अपराध का संज्ञान लिया है और चूंकि उस तारीख से पहले सरकार की कोई मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी, इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करना गैरकानूनी था। न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 190 के तहत अपराध का संज्ञान कब लिया गया था। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनके तहत "

संहिता की धारा 190 की उप-धारा (1) के तहत अपराध एक मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकता है और अबनी कुमार बनर्जी को संदर्भित किया जा सकता है।

( ऊपर), न्यायालय ने कनिया, सी. जे. के माध्यम से बोलते हुए कहाः ( चारी मामला (ऊपर), आकाशवाणी पी। 208 , पैरा 3)

" 3. धारा के शब्दों से यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की शुरुआत धारा में उल्लिखित तीन आकस्मिकताओं में से एक के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान। सबसे पहले

आपात स्थिति स्पष्ट रूप से गैर-संज्ञेय अपराधों के संबंध में है जैसा कि पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किया गया है।

दूसरा पुलिस रिपोर्ट पर है, जो स्पष्ट रूप से एक संज्ञेय अपराध का मामला है जब पुलिस ने अपना काम पूरा कर लिया है।

जाँच करें और एक प्रक्रिया के मुद्दे के लिए मजिस्ट्रेट के पास आएं। तीसरा तब होता है जब मजिस्ट्रेट स्वयं किसी अपराध का संज्ञान लेते हैं और प्रक्रिया जारी करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि

कार्यवाही शुरू होने से पहले संज्ञेय अपराध और जब मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है तो संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आदेश के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट "।

29. अबनी कुमार बनर्जी (ऊपर) मामले में न्यायमूर्ति दास गुप्ता की टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि यह 25-3-1949 पर था जब मजिस्ट्रेट ने आरोपी के खिलाफ संहिता की धारा 190 के तहत नोटिस जारी किया कि उसने अपराध का "संज्ञान" लिया है।

उस दिन से पहले से, मंजूरी दी गई थी

30. पुनः नारायणदास भगवानदास माधवदास बनाम। W.B.AIR 1959 एस. सी. 1118 की स्थिति में, इस न्यायालय ने कहा कि जब अपराध का संज्ञान प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और इसे परिभाषित करने का प्रयास करना असंभव है।

संज्ञान लेने का क्या अर्थ है। जाँच के उद्देश्य से तलाशी वारंट जारी करना या अभियुक्त की गिरफ्तारी का वारंट जारी करना अपने आप में गिरफ्तारी का कार्य नहीं माना जा सकता है। किसी अपराध का संज्ञान। यह तभी होता है जब कोई मजिस्ट्रेट धारा 200 और अध्याय XV की बाद की धाराओं या संहिता के अध्याय XVI की धारा 204 के तहत कार्यवाही के लिए अपना दिमाग लगाता है कि यह सकारात्मक रूप से कहा जा सकता है कि उसने अपना दिमाग लगाया था और इस तरह एक अपराध का संज्ञान लिया था (अजीत कुमार पालित बनाम भी देखें। राज्य डब्ल्यू. बी. ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 765 और हरेराम सत्पथी बनाम। टीकाराम अग्रवाल (1978) 4 एस. सी. सी. 58)।

31. गोपाल दास सिंधी बनाम। असम राज्य, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 986 ने पहले के फैसलों का जिक्र करते हुए कहाः ( एयर पी। 989, पैरा 7)

" 7. ..... हम धारा 190 के प्रावधानों को इस अर्थ में नहीं पढ़ सकते हैं कि एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद, एक मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के लिए बाध्य है यदि शिकायत में बताए गए तथ्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा करते हैं। हम धारा 190 में 'मई' शब्द का अर्थ 'आवश्यक' करने में असमर्थ हैं। इसका कारण स्पष्ट है। संज्ञेय अपराधों का खुलासा करने वाली शिकायत धारा 156 (3) के तहत पुलिस को जांच के लिए शिकायत भेजने में मजिस्ट्रेट को उचित ठहरा सकती है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि मजिस्ट्रेट का समय बर्बाद किया जाना चाहिए जब मुख्य रूप से

संज्ञेय अपराधों से जुड़े मामलों में जाँच करना पुलिस का कर्तव्य है। दूसरी ओर, ऐसे अवसर हो सकते हैं जब मजिस्ट्रेट अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है और ले सकता है

संज्ञेय अपराध का संज्ञान। यदि वह ऐसा करता है तो उसे अध्याय द्वारा प्रदत्त तरीके से आगे बढ़ना होगा। संहिता का XVI "।

32. निर्मलजीत सिंह हूं बनाम। राज्य डब्ल्यू. बी., (1973) 3 एस. सी. सी. 753, न्यायालय ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि मजिस्ट्रेट [2020] 11 एस. सी. आर. के समक्ष।

यह कहा जा सकता है कि उसने संहिता की धारा 190 (1) (ए) के तहत किसी अपराध का संज्ञान लिया है, उसने न केवल अपने सामने प्रस्तुत शिकायत की सामग्री पर अपना दिमाग लगाया होगा, बल्कि धारा 200 और उस धारा के बाद के प्रावधानों के तहत कार्यवाही के उद्देश्य से ऐसा किया गया। हालांकि, जहां वह केवल धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश देने के लिए अपना दिमाग लगाता है या आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करता है, तो उसे अपराध का संज्ञान लेने वाला नहीं कहा जा सकता है।

33. दर्शन सिंह में राम किशन बनाम। महाराष्ट्र राज्य

( 1971 ) 2 एस. सी. सी. 654 ने न्यायालय, जे. शेलट, की ओर से बोलते हुए कहा कि संहिता की धारा 190 के तहत, एक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है या तो (ए) शिकायत प्राप्त करने पर, या (बी) किसी अपराध का संज्ञान लेने पर।

पुलिस रिपोर्ट, या (ग) एक पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर या यहां तक कि उसकी अपनी जानकारी या संदेह पर कि ऐसा अपराध किया गया है। जैसा कि अक्सर कहा गया है, संज्ञान लेने में कोई औपचारिक कार्रवाई शामिल नहीं होती है या वास्तव में

34. देवरपल्ली लक्ष्मीनारायण रेड्डी बनाम। वी. नारायण रेड्डी (1976) 3 एस. सी. सी. 252, इस न्यायालय ने कहाः ( एस. सी. सी पी. 257 , पैरा 13-14)

अगर शिकायत में आरोप लगाए गए तथ्य किसी अपराध के होने का खुलासा करते हैं, तो वह संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं है। यह 'संज्ञान ले सकते हैं' शब्दों के उपयोग से स्पष्ट है, जो जिस संदर्भ में होते हैं, उनकी बराबरी नहीं की जा सकती है। ' संज्ञान लेना चाहिए '। 'मई' शब्द इस मामले में मजिस्ट्रेट को विवेकाधिकार देता है। यदि शिकायत को पढ़ने पर वह पाता है कि उसमें लगाए गए आरोप एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हैं और धारा 156 (3) के तहत जांच के लिए पुलिस को शिकायत भेजना न्याय के लिए अनुकूल होगा और मजिस्ट्रेट का मूल्यवान समय पूछताछ में बर्बाद होने से बचेगा।

एक ऐसे मामले में जिसकी जांच करना मुख्य रूप से पुलिस का कर्तव्य था, वह स्वयं अपराध का संज्ञान लेने के विकल्प के रूप में उस पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए उचित होगा।

जयंत ई. टी. सी. वी. मध्य प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

14. यह आनुषंगिक प्रश्न उठाता हैः 'लेने' का क्या अर्थ है

के भीतर एक मजिस्ट्रेट द्वारा एक अपराध का संज्ञान

धारा 190 पर विचार? इस अभिव्यक्ति को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन संहिता की योजना, धारा 190 की सामग्री और सीमांत शीर्षक और अध्याय XIV के शीर्षक, जिसके तहत धारा 190 से 199 आती हैं, से यह स्पष्ट है कि अदालत में मामला तभी शुरू किया जा सकता है जब अदालत उसमें कथित अपराध का संज्ञान ले। जिन तरीकों से इस तरह का संज्ञान लिया जा सकता है, वे धारा 190 (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) में दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया है या नहीं, यह विशेष मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिसमें वह तरीका भी शामिल है जिसमें मामला शुरू करने की मांग की जाती है और मजिस्ट्रेट द्वारा की गई प्रारंभिक कार्रवाई, यदि कोई हो, की प्रकृति भी शामिल है।

मोटे तौर पर, जब शिकायत प्राप्त होती है, तो मजिस्ट्रेट कार्यवाही के उद्देश्यों के लिए अपने दिमाग का उपयोग करता है।

धारा 200 और अध्याय XV की अगली धाराओं के तहत

कहा जाता है कि 1973 की संहिता के अनुसार, उन्होंने धारा 190 (1) (ए) के अर्थ के भीतर अपराध का संज्ञान लिया था। यदि, अध्याय XV के तहत कार्यवाही करने के बजाय, उसने न्यायिक अभ्यास में

अपने विवेक से, किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई, जैसे कि जांच के उद्देश्य से तलाशी वारंट जारी करना, या धारा 156 (3) के तहत पुलिस द्वारा जांच का आदेश देना, वह नहीं हो सकता है

कहा जाता है कि उन्होंने किसी भी अपराध का संज्ञान लिया है।

( एम. एल. सेठी बनाम भी देखें। आर. पी. कपूर, आकाशवाणी 1967 एस. सी. 528)।

9.4 फखरुद्दीन अहमद बनाम के मामले में। उत्तरांचल राज्य,

3 ) 17 एस. सी. सी. 157, पैराग्राफ 9 से 17 में, इसे मनाया जाता है और माना जाता है

:

" 9. प्रतिद्वंद्वी विवादों की जांच करने से पहले, हम संहिता के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों का संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं। का अध्याय XIV

धारा 190 से 199 वाली संहिता आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक वैधानिक शर्तों और मजिस्ट्रेट के संज्ञान की शक्तियों से संबंधित है। संहिता की धारा 190 की उप-धारा (1) मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने का अधिकार देती है।

उस में निर्धारित तरीके से किसी अपराध का। यह प्रावधान करता है कि ए

तथ्यों की शिकायत प्राप्त करना जो ऐसा अपराध है; या ( ख) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर; या
(ग) सूचना पर [2020] 11 एस. सी. आर.

पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किया गया, या उसकी अपनी जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है।

10. धारा 200 से धारा 203 वाला अध्याय XV "मजिस्ट्रेटों को शिकायत" से संबंधित है और उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसका शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा पालन किया जाना आवश्यक है। इसी तरह, अध्याय XVI "मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही की शुरुआत" से संबंधित है। चूंकि वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट ने संहिता की धारा 190 के संदर्भ में शिकायत का संज्ञान लिया है, इसलिए हम अपनी चर्चा को केवल उक्त प्रावधान तक ही सीमित रखेंगे। हम.

हालाँकि, इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि शिकायत प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट के पास अपराध का संज्ञान लेने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और तरीके को निर्धारित करने के लिए एक से अधिक मार्ग खुले हैं।

11. मजिस्ट्रेट के लिए खुले पाठ्यक्रमों में से एक यह है कि अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने और किसी संज्ञेय अपराध का संज्ञान लेने और संहिता की धारा 200 या धारा 202 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बजाय, वह संहिता की धारा 156 (3) के तहत पुलिस द्वारा जांच का आदेश दे सकता है, जो कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने तत्काल मामले में किया था। जब ऐसा आदेश दिया जाता है, तो पुलिस मामले की जांच करने और संहिता की धारा 173 (2) के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होती है। पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने पर, यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि तथ्यों का पता चला है

या पुलिस द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त सामग्री का पता चलने पर, वह इसका संज्ञान ले सकता है संहिता और जारी करने की प्रक्रिया की धारा 190 (1) (बी) के तहत अपराध

सीधे आरोपी के पास। हालांकि, संहिता की धारा 190 (1) (बी) में यह नहीं कहा गया है कि एक मजिस्ट्रेट केवल तभी अपराध का संज्ञान ले सकता है जब जांच अधिकारी यह राय देता है कि जांच आरोपी के खिलाफ मामला बनाती है। निस्संदेह, मजिस्ट्रेट जाँच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को नजरअंदाज कर सकता है।

12. इस प्रकार, यह सामान्य बात है कि मजिस्ट्रेट जांच अधिकारी की राय से बाध्य नहीं है और वह अपनी राय रखने में सक्षम है।

इस संबंध में विवेकाधिकार, पुलिस द्वारा अपनी रिपोर्ट में व्यक्त किए गए विचार की परवाह किए बिना और यह तय करें कि कोई अपराध किया गया है या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुलिस रिपोर्ट का उद्देश्य संहिता की धारा 173 (2) के तहत, जिसमें पुलिस द्वारा खोजे गए या खोजे गए तथ्यों के साथ-साथ निष्कर्ष जयंत ई. टी. सी. v शामिल होगा।

मध्य प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

पुलिस द्वारा उससे तैयार किया जाना मुख्य रूप से मजिस्ट्रेट को खुद को संतुष्ट करने में सक्षम बनाने के लिए है कि क्या रिपोर्ट और उसमें निर्दिष्ट सामग्री के आधार पर, संज्ञान के लिए मामला बनाया जाता है या नहीं। 13. अगला आनुषंगिक प्रश्न यह है कि संहिता की धारा 190 के विचार के भीतर एक मजिस्ट्रेट द्वारा "अपराध का संज्ञान लेना" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है?

14. अभिव्यक्ति "संज्ञान" संहिता में परिभाषित नहीं है लेकिन है

अनिश्चित महत्व का एक शब्द। जैसा कि इस न्यायालय ने अजीत कुमार पालित बनाम में कहा है। डब्ल्यू. बी. राज्य, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 765 (ए. आई. आर. पी. 770, पैरा 19)

" 19. ..... 'संज्ञान' शब्द में कोई गूढ़ या रहस्यवादी नहीं है।

आपराधिक कानून या प्रक्रिया में महत्व। इसका मतलब केवल

के बारे में जागरूक होना और जब किसी अदालत के संदर्भ में उपयोग किया जाता है या न्यायाधीश, न्यायिक रूप से ध्यान दें "।

सम्राट बनाम में कलकत्ता उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को मंजूरी देना। सौरिन्द्र मोहन चक्करबुट्टी, आई. एल. आर. (1910) 37 कैल. 412 ( आईएलआर पी. में। 416), न्यायालय ने कहा कि

किसी भी प्रकार की कार्रवाई, लेकिन मजिस्ट्रेट के रूप में तुरंत होती है, जैसे इस तरह, एक संदिग्ध आयोग के लिए अपने दिमाग को लागू करता है

अपराध "।

( जोर दिया गया)

15. हाल ही में, इस न्यायालय ने मुख्य प्रवर्तन अधिकारी बनाम. वीडियोकॉन इंटरनेशनल Ltd.ª सी. के. ठक्कर, जे. के माध्यम से बोल रहा है, जबकि

संहिता की धारा 190 के तहत "संज्ञान लेने" वाक्यांश के दायरे और दायरे पर विचार करते हुए, कुछ पर प्रकाश डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ। & कानूनी मामलों के अनुस्मारक v. अबनी कुमार बनर्जी,

ए. आई. आर. 1950 कैल. 437 जिन्हें इस न्यायालय द्वारा आर. आर. चारी बनाम में अनुमोदित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 207। अवलोकन इस प्रकार हैं: ( अबनी कुमार बनर्जी मामला (ऊपर), आकाशवाणी पी। 438 , पैरा 7)

" 7 ..... 'संज्ञान लेना' क्या है, इसे परिभाषित नहीं किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता, और मुझे अब प्रयास करने की कोई इच्छा नहीं है

इसे परिभाषित करें। हालाँकि, मुझे यह स्पष्ट लगता है कि इससे पहले कि यह हो सके

यह कहा जाए कि किसी भी मजिस्ट्रेट ने किसी का संज्ञान लिया है

धारा 190 (1) (ए) सी. आर. पी. सी. के तहत अपराध, उसके पास केवल [2020] 11 एस. सी. आर. नहीं होना चाहिए।

याचिका की विषय-वस्तु पर अपना मन लगाया, लेकिन उसने ऐसा एक विशेष तरीके से कार्यवाही करने के उद्देश्य से किया होगा जैसा कि इस अध्याय के बाद के प्रावधानों में इंगित किया गया है, धारा 200 के तहत कार्यवाही, और उसके बाद इसे धारा 202 के तहत जांच और रिपोर्ट के लिए भेजना। जब मजिस्ट्रेट अपने दिमाग को इस अध्याय की बाद की धाराओं के तहत कार्यवाही करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि कार्रवाई करने के लिए लागू करता है

किसी अन्य प्रकार जैसे धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश देना, या जांच के उद्देश्य के लिए तलाशी वारंट जारी करना, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अपराध का संज्ञान लिया है।

16. पूर्वनिर्दिष्ट न्यायिक घोषणाओं से, यह स्पष्ट है कि अनिश्चित महत्व की अभिव्यक्ति होने के नाते, "संज्ञान लेने" का क्या अर्थ है, इसे सटीक रूप से परिभाषित करना न तो व्यावहारिक है और न ही वांछनीय है। मजिस्ट्रेट ने लिया है या नहीं

अपराध का संज्ञान विशेष मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, जिसमें वह तरीका भी शामिल है जिसमें मामला दर्ज करने की मांग की जाती है और प्रारंभिक कार्रवाई की प्रकृति भी शामिल है। 17. फिर भी, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि इससे पहले कि एक मजिस्ट्रेट ने किसी अपराध का संज्ञान लिया हो, यह अनिवार्य है

कि उसने आरोपों पर ध्यान दिया होगा और आवेदन किया होगा शिकायत या पुलिस में लगाए गए आरोपों के प्रति उनका मन

रिपोर्ट या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त जानकारी पुलिस रिपोर्ट, जैसा भी मामला हो, और उसके साथ दर्ज की गई सामग्री।

इस पर बहुत कम जोर देने की आवश्यकता है कि जब मजिस्ट्रेट अपने दिमाग को लागू करता है और संतुष्ट होता है कि आरोप, यदि साबित हो जाते हैं, तो अपराध होगा और उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का फैसला करता है।

अपराध और अपराधी नहीं। " 9.5 सुब्रमण्यम स्वामी बनाम के मामले में। मनमोहन सिंह,

2 ) 3 एस. सी. सी. 64, यह पैराग्राफ 34 से 37 में निम्नानुसार देखा गया हैः

" 34. विद्वान महान्यायवादी का तर्क है कि

1988 के अधिनियम के तहत अपराध का आरोप केवल संज्ञान लेने का चरण और उससे पहले नहीं, न तो धारा की सरल भाषा और न ही न्यायिक पूर्वजों द्वारा समर्थित है।

उस पर भरोसा किया। हालाँकि, "संज्ञान" शब्द जयंत ई. टी. सी. नहीं रहा है।

मध्य प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

1988 के अधिनियम या सी. आर. पी. सी. में परिभाषित, उसी ने एक अर्जित किया है

विभिन्न न्यायिक उदाहरणों से निश्चित अर्थ और अर्थ। कानूनी भाषा में संज्ञान "कानून की अदालत द्वारा न्यायिक नोटिस लेना है, जो उसके समक्ष प्रस्तुत किसी कारण या मामले पर अधिकार क्षेत्र रखता है ताकि यह तय किया जा सके कि शुरू करने का कोई आधार है या नहीं।

न्यायिक रूप से कार्यवाहियों और कारण या मामले का निर्धारण "।

35. आर. आर. चारी बनाम यू. पी. ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 207 की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा एस. यू. पी. में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को मंजूरी दी। और कानूनी मामलों के अनुस्मारक v. अबनी कुमार बनर्जी ए. आई. आर. 1950 कैल. 437 ,: ( एयर पी। 438, पैरा 7) " 7 ..... दंड प्रक्रिया संहिता में 'संज्ञान लेना' क्या है, इसे परिभाषित नहीं किया गया है, और मुझे अब प्रयास करने की कोई इच्छा नहीं है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (ए) के तहत, उसने न केवल याचिका की सामग्री पर अपना दिमाग लगाया होगा, बल्कि उसने ऐसा एक विशेष तरीके से कार्यवाही करने के उद्देश्य से किया होगा जैसा कि इस अध्याय के बाद के प्रावधानों में इंगित किया गया है। धारा 200 के तहत कार्यवाही, और उसके बाद इसे धारा 202 के तहत जांच और रिपोर्ट के लिए भेजना। जब मजिस्ट्रेट अपने दिमाग को बाद के तहत कार्यवाही के उद्देश्य के लिए लागू नहीं करता है

इस अध्याय की धाराएँ, लेकिन किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई करने के लिए

उदाहरण के लिए धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश देना, या जांच के उद्देश्य के लिए तलाशी वारंट जारी करना, उसे ऐसा नहीं कहा जा सकता है अपराध का संज्ञान लिया है "।

36. राज्य में डब्ल्यू. बी. वी. मोहम्मद. खालिद (1995) 1 एस. सी. सी. 684, न्यायालय ने धारा 190 सी. आर. पी. सी. का उल्लेख किया और कहाः ( एस. सी. सी पी. 696, पैरा 43)

" 43 ..... अपने व्यापक और शाब्दिक अर्थ में, इसका अर्थ है किसी अपराध पर ध्यान देना। इसमें न्यायिक प्रक्रिया शुरू करने का इरादा शामिल होगा।

उस अपराध के संबंध में अपराधी के खिलाफ कार्यवाही या यह देखने के लिए कदम उठाना कि न्यायिक कार्यवाही शुरू करने या अन्य उद्देश्यों के लिए कोई आधार है या नहीं। 'संज्ञान' शब्द उस बिंदु को इंगित करता है जब कोई मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश पहली बार किसी अपराध का न्यायिक नोटिस लेता है। यह कार्यवाही की शुरुआत से पूरी तरह से अलग बात है; बल्कि यह [2020] 11 एस. सी. आर. की शुरुआत की पूर्व शर्त है।

मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा कार्यवाही। संज्ञान लिया जाता है

मामलों का और व्यक्तियों का नहीं। '

37. कर्नाटक राज्य में v. पादरी पी. राजू (2006) 6 एस. सी. सी. 728, इस न्यायालय ने अध्याय XIV और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 और 196 (1-ए) के प्रावधानों का उल्लेख किया और कहाः ( एस. सी. सी पी. 732, पैरा 8)

" 8. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अनुसार, पुलिस एजेंसी द्वारा आपराधिक मामला दर्ज करने या जांच पूरी होने पर पुलिस द्वारा रिपोर्ट जमा करने पर कोई रोक नहीं है। यदि कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है, तो अपराध की जांच की जाती है और परिणामस्वरूप पुलिस एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

पूर्ववर्ती के बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष इस तरह की जांच

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 (1-ए) का कोई उल्लंघन नहीं होगा और किसी भी प्रकार की अवैधता नहीं की जाएगी।

9.6 अनिल कुमार बनाम के मामले में। एम. के. अयप्पा (2013) 10 एस. सी. सी. यह पैराग्राफ 12 से 15 में निम्नानुसार मनाया और आयोजित किया जाता हैः

" 12. अब हम इस बात की जांच करेंगे कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत जांच का निर्देश देने वाला आदेश अपराध का संज्ञान लेने के बराबर होगा, क्योंकि एक तर्क उठाया गया था कि पीसी अधिनियम की धारा 19 (1) में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "संज्ञान" को संज्ञान के बाद के चरण के रूप में समझना होगा, न कि पूर्व-संज्ञान चरण के रूप में। और इसलिए, प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेने से पहले मंजूरी की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है।

पी. सी. अधिनियम।

13. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में दिखाई देने वाली "संज्ञान" अभिव्यक्ति इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आई। पारस नाथ सिंह (2009) 6 एस. सी. सी. 372, और इस न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किएः ( एससीसी पीपी। 375 , पैरा 6)

या पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर, या उसकी जानकारी पर कि इस तरह के अपराध के लिए प्रतिबद्ध किया गया। जहाँ तक लोक सेवकों का संबंध है, किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध का संज्ञान धारा YANT ETC. v द्वारा वर्जित है।

मध्य प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

197 जब तक उपयुक्त प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त नहीं की जाती है, जब तक कि अपराध, कथित रूप से किया गया है, आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। खंड न केवल निर्दिष्ट करता है

जिन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन यह भी

उन शर्तों और परिस्थितियों को निर्दिष्ट करता है जिनमें यह होगा

उपलब्ध है और कानून में प्रभाव यदि शर्तें संतुष्ट हैं। लोक सेवक को दी जाने वाली सुरक्षा के अनिवार्य चरित्र को इस अभिव्यक्ति द्वारा सामने लाया गया है, 'कोई भी अदालत पूर्व मंजूरी के अलावा इस तरह के अपराध का संज्ञान नहीं लेगी'। 'नहीं' और 'होगा' शब्दों के उपयोग से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी अपराध का संज्ञान लेने के लिए न्यायालय की शक्ति के प्रयोग पर प्रतिबंध पूर्ण और पूर्ण है। बहुत ही संज्ञान वर्जित है। यानी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार यह शब्द

' 'संज्ञान' का अर्थ है 'अधिकार क्षेत्र' या 'अधिकार क्षेत्र का प्रयोग' या 'कारणों का प्रयास करने और निर्धारित करने की शक्ति'। आम बोलचाल में, इसका अर्थ है ध्यान देना। इसलिए, एक अदालत को किसी शिकायत पर विचार करने या उस पर ध्यान देने या प्रयोग करने से रोक दिया गया है।

अधिकारिता यदि यह एक लोक सेवक के संबंध में है जिस पर आरोप लगाया गया है कि निर्वहन के दौरान कथित रूप से अपराध किया गया है

अपने आधिकारिक कर्तव्य के लिए "।

. राज्य में डब्ल्यू. बी. वी. मोहम्मद. खालिद (1995) 1 एस. सी. सी. 684 ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया हैः

" 13. यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि

एक अपराध प्रक्रिया जारी करने के समान नहीं है। संज्ञान प्रारंभिक चरण में लिया जाता है जब मजिस्ट्रेट किसी शिकायत में उल्लिखित तथ्यों या पुलिस रिपोर्ट या किसी से प्राप्त जानकारी पर अपने न्यायिक दिमाग को लागू करता है।

अन्य व्यक्ति कि कोई अपराध किया गया है। प्रक्रिया जारी करना एक बाद के चरण में होता है जब उसके सामने रखी गई सामग्री पर विचार करने के बाद अदालत उन अपराधियों के खिलाफ आगे बढ़ने का फैसला करती है जिनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया जाता है।

5. ऊपर उल्लिखित निर्णय स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं किई शब्द "संज्ञान" का एक व्यापक अर्थ है और यह केवल अपराध का संज्ञान लेने के स्तर तक सीमित नहीं है।

एक विशेष न्यायाधीश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत जांच के लिए एक शिकायत को संदर्भित करता है, जाहिर है, उसने अपराध का संज्ञान नहीं लिया है और इसलिए, यह एक पूर्व-संज्ञान चरण है और इसकी बराबरी नहीं की जा सकती है।

संज्ञान के बाद के चरण के साथ। जब एक विशेष न्यायाधीश लेता है

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत प्रस्तुत शिकायत पर अपराध का संज्ञान और अगला कदम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत आगे की कार्रवाई करना है। नतीजतन, एक विशेष न्यायाधीश का उल्लेख करते हुए

धारा 156 (3) के तहत जांच के लिए मामला पूर्व संज्ञान में है। स्टेज "।

10. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ न्यायिक प्रावधानों का भी अध्ययन करने के बाद घोषणाएँ, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने नहीं किया है

विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द नहीं करने और धारा 379 और 414 के तहत अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं करने में कोई त्रुटि की। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विद्वत मजिस्ट्रेट ने धारा 156 (3), Cr.P.C के तहत प्रदत्त स्वतः संज्ञान शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस स्टेशन के संबंधित प्रभारी/एस. एच. ओ. को अपराध का मामला/एफ. आई. आर. दर्ज करने/दर्ज करने का निर्देश दिया और जांच शुरू करने का निर्देश दिया और पुलिस स्टेशन के संबंधित प्रभारी/एस. एच. ओ. को उचित जांच के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

ऊपर उल्लिखित मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस स्तर पर विद्वान मजिस्ट्रेट

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रतिबंध को आकर्षित करने वाले कथित अपराधों का कोई भी संज्ञान लिया था। एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस एजेंसी द्वारा आपराधिक मामला दर्ज करने या जांच पूरी होने पर पुलिस द्वारा रिपोर्ट जमा करने के खिलाफ कोई रोक है, जैसा कि धारा 173, Cr.P.C द्वारा विचार किया गया है।

10.2 जैसा कि अनिल कुमार (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से कहा गया है, 'जब कोई विशेष न्यायाधीश धारा 156 (3) के तहत जांच के लिए शिकायत भेजता है, तो जाहिर है, उसने अपराध का संज्ञान नहीं लिया है और इसलिए, यह एक पूर्व-संज्ञान चरण है और इसे संज्ञान के बाद के चरण के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।' 10.3 जैसा कि आर. आर. चारी (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा कहा गया है, यहां तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आदेश देने वाला आदेश जयंत ई. टी. सी. v.

धारा 156 (3) के तहत, या जांच के उद्देश्य से तलाशी वारंट जारी करने के लिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अपराध का संज्ञान लिया है। जैसा कि ए. आर. अंतुले (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा, अदालत में शिकायत दर्ज करना संज्ञान नहीं ले रहा है और जो वास्तव में संज्ञान लेना है वह शिकायत दर्ज करने से अलग है। इसलिए, जब मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 156 (3) के तहत पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच के लिए आदेश पारित किया जाता है, जो कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने तत्काल मामले में किया था, जब ऐसा आदेश दिया जाता है तो पुलिस मामले की जांच करने और संहिता की धारा 173 (2) के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होती है। कि इसके बाद जांच अधिकारी को अधिकृत अधिकारी को रिपोर्ट भेजना आवश्यक है और उसके बाद के रूप में

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत परिकल्पित एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 में उल्लिखित अधिकृत अधिकारी जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और उस स्तर पर संज्ञान लेने के संबंध में प्रश्न के साथ विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है।

11. अब जहाँ तक निजी अपीलकर्ताओं की ओर से निवेदन-उल्लंघनकर्ताओं का कहना है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उल्लंघनकर्ताओं को 1996 के नियमों के नियम 53 या 2006 के नियमों के नियम 18 के तहत शक्तियों के प्रयोग में उल्लंघन को बढ़ाने की अनुमति दी गई थी और उल्लंघनकर्ताओं ने निर्णय को स्वीकार कर लिया और इसके द्वारा निर्धारित दंड की राशि जमा कर दी। अपराधों/उल्लंघनों को बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण, इसके तहत अपराधों के लिए आगे कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती है।

आई. पी. सी. की धारा 379 और 414 और एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 23 ए और एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 23 ए पर निर्भरता का संबंध है, यह सच है कि वर्तमान मामले में उपयुक्त प्राधिकारी ने 1996 के नियम/2006 के नियम 18 के नियम 53 के तहत जुर्माना निर्धारित किया, जिसे निजी अपीलकर्ताओं-उल्लंघनकर्ताओं ने भुगतान किया और इसलिए एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 23 ए की उप-धारा 2 में निहित प्रतिबंध को आकर्षित किया जाएगा। धारा 23 ए, जो आज भी है, वर्ष 1972 में खनिज सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर कानून में लाई गई है, जिसमें यह प्रावधान है कि एमएमडीआर अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध को अभियोजन की स्थापना से पहले या बाद में, उस अपराध के संबंध में अदालत में शिकायत करने के लिए धारा 22 के तहत अधिकृत व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

उस व्यक्ति को, सरकार को क्रेडिट के लिए, ऐसी राशि जो वह व्यक्ति निर्दिष्ट करे। धारा 23 ए की उप-धारा 2 में आगे यह प्रावधान किया गया है कि जहां कोई अपराध उप-धारा (1) के तहत चक्रवृद्धि है, वहां [2020] 11 एस. सी. आर. में अपराधी के खिलाफ कोई कार्यवाही या आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी।

इस प्रकार चक्रवृद्धि अपराध के संबंध में, और यदि अपराधी अभिरक्षा में है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। इस प्रकार, धारा 23 ए की उप-धारा 2 के तहत प्रतिबंध एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में लागू होगा।

या उसके तहत बनाया गया कोई नियम। हालांकि, धारा 23 ए की उप-धारा 2 में निहित बाधा आईपीसी की धारा 379 और 414 जैसे अपराधों के लिए लागू नहीं होगी। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, एम. एम. डी. आर. अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत अपराध और आई. पी. सी. के तहत अपराध अलग-अलग और विशिष्ट अपराध हैं। इसलिए, वर्तमान मामले की तरह, खनन निरीक्षकों ने तैयारी की

1996 के नियमों के नियम 53 के तहत मामले और उन्हें संबंधित नियमों और कलेक्टर के अनुसार गणना की गई राशि के लिए चक्रवृद्धि के प्रस्ताव के साथ खनन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी और उसके बाद निजी अपीलकर्ताओं-उल्लंघनकर्ताओं ने निर्णय को स्वीकार कर लिया और एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 ए की उप-धारा 2 और 1996 के नियमों और यहां तक कि 2006 के नियमों को एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए जाने के मद्देनजर मामलों को बढ़ाने के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित दंड की राशि जमा कर दी, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4/21 के तहत अपराधों के लिए आपराधिक शिकायतें/कार्यवाही की अनुमति नहीं है और एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 ए की उप-धारा 2 में निहित बार को देखते हुए आगे की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। उसी समय, जैसा कि देखा गया है

इसके अलावा, आई. पी. सी.-आई. पी. सी. की धाराओं के तहत अपराधों के लिए आपराधिक शिकायतें/कार्यवाही, जिन्हें अलग और अलग माना जाता है, यहां ऊपर की गई टिप्पणियों के अधीन आगे की जा सकती है। हालाँकि, हमारे उपरोक्त निष्कर्ष एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 ए के प्रावधानों पर विचार कर रहे हैं, जैसा कि आज भी है। यह सच हो सकता है कि उल्लंघनकर्ताओं को इसके तहत अपराधों को बढ़ाने की अनुमति देकर

एम. एम. डी. आर. अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, राज्य को राजस्व प्राप्त हो सकता है और यह उस व्यक्ति के सिद्धांत पर होगा जो नुकसान का कारण बनता है, उसे नुकसान की भरपाई करनी होगी और पर्यावरण को नुकसान के मामले में प्रदूषण फैलाने वालों के सिद्धांत की तरह जुर्माना देना होगा। तथापि, प्रकृति को बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान को देखते हुए और जैसा कि संजय (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है,

एमएमडीआर अधिनियम और नियमों की नीति और उद्देश्य गंभीर स्थिति को बहाल करने की अनिवार्य आवश्यकता के बारे में बढ़ती जागरूकता का परिणाम हैं।

पारिस्थितिकीय असंतुलन और प्रकृति को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए और उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने के लिए, यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है, और जब इस तरह के उल्लंघन बढ़ रहे हैं और प्रकृति और पृथ्वी को गंभीर नुकसान हो रहा है।

और यह भूजल स्तर आदि को भी प्रभावित करता है और यह गंभीर क्षति का कारण बनता है जैसा कि इस न्यायालय ने संजय (उपरोक्त) के मामले में कहा है, यहाँ ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, हमारी राय है कि उल्लंघनकर्ताओं को केवल जुर्माने के भुगतान पर स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कुछ सख्त प्रावधान होने चाहिए जिनका निवारक प्रभाव हो सकता है ताकि उल्लंघनकर्ता इस तरह के अपराध करने से पहले और पृथ्वी और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से पहले दो बार सोच सकें।

पारिस्थितिकीय असंतुलन को बहाल करना और प्रकृति को हो रहे नुकसान को रोकना राज्य का कर्तव्य है। जिस तरह से यह देखा गया है

संजय (उपरोक्त) के मामले में अदालत ने कहा कि नदी के तल और इसी तरह के संसाधनों से धारा में अत्यधिक रेत और बजरी का खनन नदियों के क्षरण का कारण बनता है। यह भी देखा गया है कि पुलों को खतरे में डालने के अलावा, रेत खनन नदी के तल को बड़े और गहरे गड्ढों में बदल देता है, जिसके परिणामस्वरूप भूजल स्तर गिर जाता है और पीने के पानी के कुओं को नदी पर छोड़ दिया जाता है।

इन नदियों के तटबंध सूख जाते हैं। अन्यथा भी, रेत/खदानें एक सार्वजनिक संपत्ति है और राज्य उक्त सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षक है और इसलिए राज्य को पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा के लिए और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए अधिक संवेदनशील होना चाहिए, राज्य को हमेशा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करने के पक्ष में होना चाहिए जो गंभीर पारिस्थितिक असंतुलन पैदा कर रहे हैं और किसी भी रूप में प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चूंकि धारा 23 ए के प्रावधानों को चुनौती नहीं दी गई है और एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 ए जब तक बनी हुई है, हम इस मामले को वहीं छोड़ देते हैं और इसे विधानसभाओं और संबंधित राज्यों के विवेक पर छोड़ देते हैं।

12. अब जहाँ तक राज्य द्वारा इस आधार पर की गई अपील की बात है कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश न्यायालय, 1996 के नियमों के नियम 53 और 2006 के नियमों के नियम 18 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपराध को बढ़ाने के लिए अधिकृत व्यक्ति की शक्तियों को प्रभावित करता है।

गलत धारणा है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश द्वारा, पुष्टि की गई

उच्च न्यायालय द्वारा, किसी भी तरह की कल्पना के बिना, यह कहा जा सकता है कि आई. पी. सी. के तहत अपराधों के लिए और यहां तक कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध मामला दायर करने का निर्देश देना, अपराध को बढ़ाने के लिए अधिकृत व्यक्ति की किसी भी शक्ति को प्रभावित करता है। वास्तव में, इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए

संजय (उपर्युक्त) का मामला, जिसमें इस न्यायालय ने विशेष रूप से अवलोकन किया है और अभिनिर्धारित किया है कि जहां तक आई. पी. सी. के तहत अपराध का संबंध है, एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 22 के तहत कोई रोक नहीं होगी और जब [2020] 11 एस. सी. आर.

उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य ने विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया और ठीक ही किया और जब उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश राज्य के पक्ष में है, तो राज्य को विशेष अनुमति याचिका/अपील दायर नहीं करनी चाहिए थी।

i) कि विद्वान मजिस्ट्रेट संहिता आदेश की धारा 156 (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकता है/पुलिस स्टेशन के संबंधित प्रभारी/एस. एच. ओ. को एम. एम. डी. आर. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराधों के लिए भी अपराध का मामला/एफ. आई. आर. दर्ज करने/दर्ज करने का निर्देश दे सकता है। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रतिबंध को आकर्षित नहीं किया जाएगा;

एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराधों के लिए प्रक्रिया/समन; iii) आई. पी. सी. के तहत अपराध करने के लिए, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अधिकार क्षेत्र वाला मजिस्ट्रेट इसका संज्ञान ले सकता है -

शिकायत की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना उक्त अपराध जो हो सकता है एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में संज्ञान लेने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर; और

(iv) कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में, जब कोई मजिस्ट्रेट आदेश पारित करता है।

संहिता की धारा 156 (3) के तहत और पुलिस स्टेशन के संबंधित प्रभारी/एस. एच. ओ. को अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में अपराध का मामला/एफ. आई. आर. दर्ज करने का निर्देश देता है और उसके बाद जांच के बाद पुलिस स्टेशन का संबंधित प्रभारी/जांच अधिकारी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसे संबंधित मजिस्ट्रेट के साथ-साथ संबंधित अधिकृत अधिकारी को भी भेजा जा सकता है जैसा कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 22 में उल्लेख किया गया है और उसके बाद संबंधित अधिकृत अधिकारी संबंधित जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है।

और उसके बाद विद्वान मजिस्ट्रेट के लिए जयंत ई. टी. सी. का संज्ञान लेना खुला रहेगा।

उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, एम. एम. डी. आर. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में प्रक्रिया/समन जारी करें और उस स्तर पर यह कहा जा सकता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है।

v) ऐसे मामले में जहां उल्लंघनकर्ता को एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23ए की उप-धारा 2 पर विचार करते हुए धारा 23ए की उप-धारा 1 के अनुसार दंड के भुगतान पर अपराधों को बढ़ाने की अनुमति है, अपराधी के खिलाफ कोई कार्यवाही या आगे की कार्यवाही नहीं होगी।

एमएमडीआर अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में। हालांकि, धारा 23ए की उप-धारा 2 के तहत प्रतिबंध आईपीसी की धारा 379 और 414 जैसे अपराधों के लिए किसी भी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा और उसी के साथ आगे की कार्रवाई की जाएगी। 14. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उल्लंघनकर्ताओं/निजी अपीलार्थियों द्वारा दायर अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है, इस हद तक कि केवल एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4/21 के तहत अपराधों के लिए कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है। द्वारा पसंद की गई अपील

मध्य प्रदेश राज्य खारिज कर दिया गया है।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे